NEWS LETTER

February 2021

न्याय सब के लिए

ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

M.P. STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
JABALPUR

Court Based Legal Services

Mediation

Online Dispute Resolution

"Community Mediation Training"

"Online Mediation Training of volunteers "Kshatriya Community"

(03.02.2021-12.02.2021)

The occasion of Online Community Mediation Programme for 20 Hrs taken up under the aegis of MP SLSA with the approval of the Main Mediation Monitoring Committee is a very important step towards encouraging access to mediation. The programme commenced through online mode today extending to participants of Muslim Community in 08 districts viz. Jabalpur, **Gwalior, Bhind, Morena, Khandwa, Indore, Jabalpur, Bhopal, Shivpuri and Ujjain.**

Mediation as very important alternate dispute resolution mechanism earlier confined to the offices of the Legal Services Institutions will now be accessible at the level of the community through volunteers trained to resolve disputes within the society and thereby settle the conflicts at grass root level. The confidentiality of the mediation process offers avoidance of hostility, restoration of trust between people and with procedural flexibility offers parties to arrive at win-win formula.

The topics of the programme included negotiation, bargaining, overcoming impasse and drafting of agreements and training imparted by Ms. Giribala Singh, Member-Secretary MPSLSA & Mr. Rajiv Karmahe- Secretary, HCLSC Jabalpur while as resource person Ms. Neena Khare and Dr. O.P. Raichandani Psychiatrist, Medical College Jabalpur also shared their valuable inputs.

The valedictory session was attended by the Secretaries of DLSA who shall be responsible for extending logistic support & assistance apart from monitoring activities of these centres. The trained volunteers of the community shall set up Community Mediation Centres at the community level and resolve disputes amicably.

Online Training to Members of Kshatriya Community

Online Dispute Resolution
"Community Mediation Training"
"Online Mediation Training of volunteers "Bengali Community" (18.02.2021-27.02.2021)

Online Community Mediation Programme for 20 Hrs taken up under the aegis of MP SLSA with the approval of the Main Mediation Monitoring Committee extending to participants of Bengali Community from district **Jabalpur** concluded on 27.02.2021.

Mediation a very important alternate dispute resolution mechanism earlier confined to the offices of the Legal Services Institutions will now be accessible at the level of the community through volunteers trained to resolve disputes within the society and thereby settle the conflicts at grass root level. The confidentiality of the mediation process offers avoidance of hostility, restoration of trust between people and with procedural flexibility offers parties to arrive at win-win formula.

TheHitavada

Jabalpur City Line | 2021-02-28 | Page- 4
ehitavada.com

MPSLSA holds online community mediation

■ Legal Correspondent

ONLINE Community Mediation Programme for 20 hours taken up under the aegis of MPSLSA with the approval of the Main Mediation Monitoring Committee extending to participants of Bengali Community from district Jabalpur concluded on Saturday.

Mediation a very important alternate dispute resolution mechanism earlier confined to the offices of the legal services institutions will now be accessible at the level of the community through volunteers trained to resolve disputes within the society and thereby settle the conflicts at grass root level. The confidentiality of the mediation process offers avoidance of hostility, restoration of trust between people and with procedural flexibility offers parties to arrive at win-win formula.

The topics of the programme included negotiation, bargaining, overcoming impasse and drafting of agreements and training imparted by Giribala Singh, Member-Secretary MPSLSA and Rajiv Karmahe, Secretary, HCLSC, Jabalpur, while as resource person Arti Sharma and Dr O P Raichandani Psychiatrist, Medical College Jabalpur, also shared their valuable inputs. During the session law interns were also imparted basic mediation orientation skills. The valedictory session was attended by the Secretary of DLSA Jabalpur Sharad Bhamkar, who shall be responsible for extending logistic support & assistance apart from monitoring activities of these centres. The trained volunteers of the community shall set up Community Mediation Centres at the community level and resolve disputes amicably.

The programme concluded with the singing of the national anthem.

Powered by Bharati Web Pvt Ltd

The topics of the programme included negotiation, bargaining, overcoming impasse and drafting of agreements and training imparted by Ms. Giribala Singh, Member-Secretary MPSLSA & Mr. Rajiv Karmahe- Secretary, HCLSC Jabalpur while as resource person Ms. Arti Sharma and Dr. O.P. Raichandani Psychiatrist, Medical College Jabalpur also shared their valuable inputs. During the session Law intern students were also imparted basic mediation orientation skills.

The valedictory session was attended by the Secretary of DLSA Jabalpur Shri Sharad Bhamkar who shall be responsible for extending logistic support & assistance apart from monitoring activities of these centres. The trained volunteers of the community shall set up Community Mediation Centres at the community level and resolve disputes amicably.

Online Training to Members of Bengali Community

Success Stories of Mediation and Pre Litigation Mediation

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ

मध्यस्थता प्रक्रिया के माध्यम से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झाबुआ के न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण क्रमांक को मध्यस्थता हेतु रेफर किया गया। जिसमें दिनांक 23.12.2019 को माधवपुरा पुलिस थाना झाबुआ में आरोपीगण ने फरियादी को गाली–गलोच कर मारपीट करके जान से मारने की धमकी दी थी। जिसकी फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस थाना झाबुआ द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर अन्वेषण पश्चात् न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। मामले को मध्यस्थता हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ को रेफर कर भेजा गया। जहां से विशेष न्यायाधीश को मध्यस्थता हेतु मामला भेजा गया। मध्यस्थता केन्द्र में फरियादी एवं आरोपीगण की सुहल–समझौता वार्ता कराई गई। उभयपक्षों को पृथक–पृथक एवं संयुक्त रूप से राजीनामा हेतु समझाईस दी गई। जिसके उपरांत पक्षकारों ने आपस में भाई बंदी एवं पड़ोसी का रिश्ता बताते हुये एक–दूसरे को गले लगाकर भविष्य में शांतिपूर्वक रहने और सद्भाव कायम रखने का वचन दिया एवं सफल मध्यस्थता द्वारा मामले का निराकरण किया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास

जिला प्राधिकरण देवास द्वारा लगाए जा रहे विधिक जागरूकता शिविरों के माध्यम से जागरूक होकर एक आवेदिका ने स्वयं उपस्थित होकर मध्यस्थता केन्द्र देवास में अपने पारिवारिक विवाद के निराकरण हेतु वादपूर्व मध्यस्थता अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया। सचिव जिला प्राधिकरण देवास द्वारा उक्त मामले में अनावेदकगण को वादपूर्व मध्यस्थता हेतु सूचना पत्र जारी किए गए। आवेदक पक्ष की ओर से महिला एवं उसकी माता तथा अनावेदक पक्ष की ओर से महिला का पति, ससुर एवं जेठ उपस्थित हुए। दोनों पक्षों के उपस्थित होने पर मध्यस्थ द्वारा वाद–पूर्व मध्यस्थता के अंतर्गत मध्यस्थता की कार्यवाही की जाकर दोनों पक्षों के साथ एकल एवं संयुक्त बैठकें आयोजित की गई। मध्यस्थ द्वारा लगभग दो साल से अलग रह रहे पति–पत्नी को उनके आपसी एवं परिजनों के मनमुटाव को दूर कर एक साथ रहने के लिए प्रेरित किया गया, जिसके फलस्वरूप दोनों पति–पत्नी ने संयुक्त रुप से अपने एवं परिजनों के मध्य उत्पन्न विवाद को भुलाकर साथ रहने का निर्णय किया एवं पति अपनी पत्नी एवं बच्चे को साथ लेकर खुशी–खुशी अपने घर गए।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रतलाम

आवेदिका श्रीमती रजिया अली पति श्री जोएब अली बोहरा द्वारा कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। आवेदिका द्वारा बताया गया कि जुजर पिता श्री असगर अली बादशाह द्वारा बाजना बस स्टेण्ड पर अली एल्यूमिनियम फेब्रीकेशन के नाम से संचालित दुकान का किराया आवेदिका को नियमानुसार भुगतान नहीं कर रहा है। आवेदिका द्वारा किराया मांगने पर भी किराया नहीं दे रहा है तथा आवेदिका को गुमराह कर रहा है। आवेदिका द्वारा कई बार उक्त दुकानदार को दुकान खाली करने के लिए भी कहा गया पर वह दुकान खाली नहीं कर रहा है, न ही किराया दे रहा है। जिससे आवेदिका द्वारा विवश होकर पारिवारिक विवाद समाधान केंद्र, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम में उपस्थित होकर अपना आवेदन प्रस्तुत किया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर कार्यवाही की गई। जिस पर कार्यवाही स्वरूप अनावेदक को सूचना पत्र भेजकर इस कार्यालय में बुलाया गया। उसने व्यक्त किया की किराया आवेदिका के पति श्री जोएव अली स्वयं को मकान मालिक बताकर प्राप्त कर रहे हैं। आवेदिका के पति ने भी स्वतः उपस्थित होकर किराया प्राप्त करना स्वीकार किया। पति–पत्नी में विवाद होने से आवेदिका के स्वत्व के आधार पर उभयपक्षों को समझाया गया तथा नवीन किरायानामा लिखवाकर 4500/–मासिक किराये के लिए अनुबंध कराया गया। उभयपक्ष उक्त राजीनामे से संतुष्ट एवं सहमत है तथा भविष्य में इस राजीनामे का पालन करेंगे। इस प्रकार एक मकान मालिक तथा किरायेदार के मध्य उत्पन्न विवाद का मध्यस्थता द्वारा स्वैच्छया एवं परस्पर समझौते से वैकल्पिक विवाद समाधान तकनीक द्वारा संतुष्टिपूर्वक समाधान किया गया।

शुभारंभ - सामुदायिक मध्यस्थता केन्द्र

पासी समाज - बुरहानपुर

Mediation Awareness Programme

DLSA JABALPUR

A mediation Programme was organised on 18 february in DLSA Jabalpur. In this programme principal judges of family courts, Secretary, Dlsa and DLAO and many of law students were present.

Trained mediators addressing to law students

In this programmme participants were apprised about the process of Mediation, difference between Pre-litigation and Mediation in Court annexed matters. Apart from above the questions raised by the students were answered by Secretary DLSA.

Glimpses of Mediation Awareness Programme

DLSA SHIVPURI

DLSA CHHATARPUR

DLSA HOSHANGABAD

DLSA RAJGARH

DLSA MANDLESHWAR

DLSA NARSINGHPUR

DLSA BURHANPUR

DLSA DAMOH

DLSA DEWAS

DLSA MANDLA

DLSA BALAGHAT

News.....

आपसी विवाद को मध्यस्थता से सुलझाएं : न्यायधीश पाटीदार

बुरहानपुर। जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष वीरेन्द्र एस. पाटीदार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में पासी समाज का सामुदायिक मध्यस्थता केन्द्र डॉ. अम्बेडकर वार्ड पासी मोहल्ला में केन्द्र का शुभारंभ अपर जिला न्यायाधीश सचिव नरेन्द्र पटेल एवं म.प्र. रा%य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर से मध्यस्थता प्रशिक्षण प्राप्त अमरेश बोरासी के साथ पासी समाज के अध्यक्ष विक्की पासी, सचिव शिवकुमार पासी की मौजुदगी में विधिक जानकारी दी है, उक्त कार्यक्रम में समाज के लगभग 225 लोग उपस्थित रहे। उक्त कार्यक्रम में मध्यस्थता जागरूकता के संबंध में नरेन्द्र पटेल सचिव एडीजे द्वारा बताया गया कि मध्यस्थता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विवादों का निपटारा आपसी सुलहवार्ता से किया जा सकता है। मध्यस्थता करवाने वाला व्यक्ति निष्पक्ष होता है साथ ही मध्यस्थता एक त्वरित, सरल, निष्पक्ष, सुलभ प्रक्रिया है जिससे हमारा न्यायालय में लगने वाला समयए मानसिक तनाव एवं धन बचता है। यह बताया कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित मीडिएशन प्रशिक्षण कार्यक्रम में अमरेश बोरासी द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। समाज के लोगों से आग्रह किया कि आपके आपसी विवादों के लिए प्रशिक्षित मध्यस्थ के समक्ष मामलें को रखे और उनके माध्यम से विवाद के निराकरण का प्रयास करें। श्री पटेल द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताते हुए एवं विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं की जानकारी लोगों को दी। साथ ही मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्यों के बारे में जानकारी दी। वाहन चलाने के लिए लाईसेंस, बीमा की बनाना चाहिए एवं बालक बालिकाओं को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ही वाहन चलाना चाहिए। समाज के सभी वर्ग को शिक्षित होना चाहिए और सभी लोगों अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहिए। उक्त कार्यक्रम में पासी समाज के अध्यक्ष विक्की पासी एवं सचिव शिवकुमार पासी ने मध्यस्थता के बारे में बताते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मध्यस्थता का लाभ लेना चाहिए। कई विवाद ऐसे होते हैं जिनका निपटारा मध्यस्थता से हो सकता है।

बैठक मध्यस्थता जागरुकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन

पक्षकारों को मध्यस्थ पर भरोसा होना चाहिए: जिला न्यायाधीश

...यसेन। पक्षकारों को मध्यस्थ पर भरोसा ...ना चाहिए, जिससे वह अपने मन की बात ... विवाद को उनके समक्ष रख सकें। ...ध्यस्थता, विवादों को निपटाने की सरल एवं ...ष्पक्ष प्रक्रिया है। विभिन्न पक्ष अपने विवाद ... सभी दृष्टिकोण से मापते हैं। मध्यस्थता ...धिकारी दबाव रहित वातावरण में विभिन्न ...ों के विवादों का निपटारा कराता है।

यह बात जिला एवं सत्र न्यायाधीश ...ं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा ...धिकरण संजीव कुमार सरैया ने ...निवार को जिला न्यायालय में ...योजित जिला स्तरीय मीडिएशन ...नीटरिंग कमेटी की बैठक एवं ...ध्यस्थता जागरुकता कार्यक्रम को ... प्राधिकरण, हिदायतउल्ला खान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, अफ्जल खान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयप्रताप चिड़ार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, रिजवाना कौसर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सहित अन्य मजिस्ट्रेट,विमल कुमार जैन अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ ओपी सोनी आदि मौजूद थे। सचिव नीलम मिश्रा ने बताया कि आज के सामाजिक, आर्थिक परिवेश में विषमताओं की अंतहीन श्रृंखला में समाज के हर वर्ग एवं स्तर पर असंतोष बढ़ना विवादों का कारण है। इस दशा में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 अंतर्गत विवादों के वैकल्पिक निराकरण की प्रमुख पद्धति ... है। इस बैठक में संजीव कुमार सरैया, जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष श्रीमती नीलम मिश्रा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हिदायतउल्ला खान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, अफ्जल खॉन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयप्रताप चिढ़ार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्रीमती रिजवाना कौसर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्रीमती मनीषा जैन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्रीमती गार्गी शर्मा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मोहित परसाई न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रशिक्षु मजिस्ट्रेट, विमल कुमार जैन अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ, ओपी सोनी जिला ...धिवक्ता संघ, अधिवक्तागण एवं ...कार मौजूद थे।

सिलवानी में रक्तदान शिविर 17 को

सिलवानी। नगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन 17 फरवरी दिन बुधवार को किया जा रहा है। इस शिविर में एक सौ यूनिट ब्लड एकत्रित किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। बीएमओ डा. एच एन मांडरे ने बताया कि 17 को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में ब्लड एकत्रित किए जाने को लेकर जिला चिकित्सालय के चिकित्सको के सहयोग से शिविर आयोजित किया जा रहा है। आयोजित किए जाने वाले शिविर की सफलता को लेकर विभागीय कर्मचारियो को निर्देशित किया गया है। जिला चिकित्सालय के चिकित्सक डा. प्रशांत व अन्य चिकित्सको के द्वारा ब्लड एकत्रीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण किया जाएगा।

मध्यस्थता जागरूकता पर हुआ कार्यक्रम

खण्डवा ■ राज न्यूज नेटवर्क

जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री एलडी बौरासी की अध्यक्षता में एडीआर सेन्टर, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा में दिनांक 13 फरवरी को मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम सह विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया । उक्त अवसर पर कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश श्री आरएस कुशवाह एवं विशेष न्यायाधीश श्री पीसी आर्य विशिष्ट अतिथि थे।

मीडिएशन जागरूकता कायक्रम में माननीय जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष एलडी बौरासी ने कहा कि सफलता पूर्वक मध्यस्थता का कार्य करना बहुत बड़ा पुण्य का कार्य हैं, मीडिएटर को हमेशा निष्पक्ष होना चाहिए, उनके कहा कि मध्यस्थता विवादों को निपटाने की सरल एवं निष्पक्ष प्रक्रिया हैं, दबाव रहित वातावरण में मीडिएटर को पक्षकारगण के विवादों का निपटारा करना होता है। श्री बौरासी ने मध्यस्थता के संबंध में रामायण व महाभारत काल का भी वर्णन कर मध्यस्थता के संबंध में विभिन्न जानकारी दी गयी। इस अवसर पर विशेष न्यायाधीश प्रकाश चन्द्र आर्य द्वारा कहा कि मध्यस्थता कमी आएगी तथा विवाद के पक्षकारों का मध्यस्थता के कारण समय एवं धन की बचत होती है। इस अवसर पर जिला विधिकम सेवा प्राधिकरण के सचिव हरिओम अतलसिया ने बताया कि मध्यस्थता समाज में शांति ओर स्थायित्व का आधार है। समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के विधिक हितों का सदैव दीनबधूं के रूप में कार्य करती हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं कुटुम्ब न्यायालय के उक्त कार्यक्रम में प्रशिक्षित सामुदायिक मीडिएटर्स श्री जीपी नागवंशी, संतोष मीणा, मनोज कुमार बौरासी, श्रीमति अनीता सिंह, राखी तोमर एवं पैरालीगल वालंटियर्स मनोज वर्मा,द्वारा भी अपने विचार व्यक्त किये गये।

उक्त कार्यक्रम में एडी जे सर्वश्री श्रीमति किरण सिहं, श्री केपी मरकाम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लक्ष्मण कुमार वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेटगण कपिल वर्मा, विशेष रेल्वे मजिस्ट्रेट विष्णु प्रसाद सौंलकी, श्रीमति सपना पटवा, सुश्री मधुलिका मुले, सुश्री सौम्या साहू, सुश्री आयुषी गुप्ता राहुल सोनी, सुश्री सृष्टि चौरसिया, अमित बास्केल, मनीष रघुवंशी अन्य न्यायाधीश, सुश्री श्वेता, चन्द्रेश मण्डलोई सहित सुश्री मोना दफ्तरी एवं कई ...त थें।

विवाद निराकरण के लिए मध्यस्थता योजना श्रेष्ठ

बुरहानपुर ●मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार अधिवक्ता संघ हॉल जिला न्यायालय भवन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष वीरेन्द्र एस. पाटीदार की अध्यक्षता एवं प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय मोहन पी तिवारी के आतिथ्य में जिला अधिवक्ता संघ के अधिवक्तागण एवं पक्षकारों के लिए मध्यस्थता योजना पर मध्यस्थता जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/ए.डी.जे. नरेन्द्र पटेल, जिला विधिक सहायता अधिकारी चन्द्रेश मंडलोई, अधिवक्ता संघ के सचिव सत्यनारायण वाघ एवं अधिवक्ता ...

'विवाद निराकरण के लिए मध्यस्थता जरूरी है'

हरिभूमि न्यूज ▶▶ बुरहानपुर

जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष वीरेन्द्र एस. पाटीदार की अध्यक्षता एवं प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय मोहन पी तिवारी के आतिथ्य में जिला अधिवक्ता संघ के अधिवक्तागण एवं पक्षकारों के लिए मध्यस्थता योजना पर मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव/ए.डी.जे. नरेन्द्र पटेल, जिला विधिक सहायता अधिकारी चन्द्रेश मण्डलोई, अधिवक्ता संघ के सचिव सत्यनारायण वाघ एवं अधिवक्ता सदस्यगण एवं पक्षकारों की सहभागिता रही। वर्तमान समय में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सामुदायिक मध्यस्थता प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। जिसमें समाज के विभिन्न समुदाय अपने समाज के विवादों का निराकरण सामाजिक स्तर पर कर सकते हैं। बुरहानपुर जिले में इस योजना के अंतर्गत पासी समाज की ओर से सामुदायिक मध्यस्थता केन्द्र स्थानीय अम्बेडकर वार्ड पासी मोहल्ले में प्रारंभ किया गया है। जिला अधिवक्ता संघ के सचिव सत्यनारायण वाघ एवं पैनल लायर्स एव्ही खान ने भी मध्यस्थता योजना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराया।

हरिभूमि भोपाल - विदिशा-रायसेन भूमि 14 Feb 2021

रायसेन हरिभूमि 10

जिला न्यायालय में मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

हरिभूमि न्यूज ▶▶ रायसेन

जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन की अध्यक्षता में शनिवार को जिला न्यायालय स्थित एडीआर भवन में जिला स्तरीय मीडिएशन मॉनीटरिंग कमेटी की बैठक एवं मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष संजीव कुमार सरैया द्वारा बताया कि पक्षकारों को मध्यस्थ पर भरोसा होना चाहिए, जिससे वह अपने मन की बात एवं विवाद को उनके समक्ष रख सके। मध्यस्थता विवादों को निपटाने की सरल व निष्पक्ष प्रक्रिया है। विभिन्न पक्ष अपने विवाद को सभी दृष्टिकोण से मापते हैं। मध्यस्थता अधिकारी दबाव रहित वातावरण में विभिन्न पक्षों के विवादों का निपटारा कराता है।

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश रायसेन हिदायतउल्ला खान द्वारा बताया कि मध्यस्थता से विवाद का अविलंब व शीघ्र समाधान किया जाता है समय तथा खर्चों की बचत होती है। मध्यस्थ वाले मामले में कोई अपील या संशोधन नहीं होता, विवाद का अंतिम रूप से निपटारा हो जाता है। इसी क्रम में नीलम मिश्रा द्वारा बताया कि आज के सामाजिक, आर्थिक परिवेश में विषमताओं की अंतहीन श्रृंखला में समाज के हर वर्ग एवं स्तर पर असंतोष का उद्भव विवादों का जनक है। इस दशा मे सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 अंतर्गत विवादों के वैकल्पिक निराकरण की प्रमुख पद्धति के रूप में मध्यस्थता पद्धति की सम्पूर्ण विश्व में अपनी एक पहचान स्थापित हुई है। मध्यस्थता के विकल्प की जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मध्यस्थता के लाभों से लोगों को अवगत कराने के लिए पंपलेट वितरित किए, जिससे लोगों में मध्यस्थता योजना का प्रचार प्रसार हो सकें।

इस बैठक में जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष संजीव कुमार सरैया, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नीलम मिश्रा, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश हिदायतउल्ला खान, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अफजल खन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जयप्रताप चिढ़ार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रिजवाना कौसर, मनीषा जैन, गार्गी शर्मा, मोहित परसाई, विमल कुमार जैन, ओपी सोनी जिला अधिवक्ता संघ रायसेन, मीडिएटर अधिवक्ता व पक्षकार उपस्थित थे।

Lok Adalat Programmes

Permanent and Continuous Lok Adalat through hybrid mode was scheduled on **27.02.21** at the High Court and District Court level.

Disposal at Dist. Court Level

No. of cases taken up	Number of cases disposed	Settlement Amount	Benefitted persons
7144	**2161**	**320551527/-**	**4793**

Preparation of National Lok Adalat dated 10.04.21

नेशनल लोक अदालत का 10 अप्रैल को

सत्ता सुधार|हरदा

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती शशीकलॉं चंद्रा की अध्यक्षता में तथा अपर जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण केएस शाक्य की उपस्थिति में कोविड-19 के चलते कोरोना संक्रमण हेतु सभी दिशा निदेशी का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का प्रयोग करते हुए नेशनल लोक अदालत में बैठक का आयोजन बीमा कंपनी के अधिवक्ताओ के साथ विचार-विमर्श के पश्चात किया गया। मोटर दुर्घटना दावा के न्यायालय में विचाराधीन अधिक से अधिक प्रकरणों में आपसी सुलह एवं समझौते के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण हो इस संबंध में चर्चा की गयी।

प्रकरण लोक अदालत के माध्यम से करें निराकरण

मा. शाक्य द्वारा बताया गया है की नेशनल लोक अदालत का आयोजन 10 अप्रैल को जिला न्यायालय में किया जावेगा तथा आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में बीमा कंपनी के अधिवक्ताओ को अधिक से अधिक प्रकरण लोक अदालत के माध्यम से निराकरण कराये जाने का अनुरोध किया है। विशेष न्यायाधीश एसके जोशी एवं प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय केएन सिंह जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष बीके पाटिल एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय सिंह की उपस्थिति में गुरुवार को कोविड-19 के चलते सोशल डिस्टेसिंग एवं शासन के दिशा-निदेर्शों का पालन करते हुये मध्यस्थता जागरूकता कार्यक्रम व अधिवक्ताओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला मध्यस्थता केन्द्र में पैनल अधिवक्ताओं की उपस्थिति में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमति चन्द्रा द्वारा अधिवक्तागण को मध्यस्थता के माध्यम से प्रकरण को निराकृत करने हेतु पक्षकारों को समझाईश दी। 10 अप्रैल को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में अधिवक्ताओं को अधिक से अधिक प्रकरण लोक अदालत के माध्यम से निराकरण कराये जाने हेतु निर्देशित किया तथा प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय केएन सिंह के द्वारा मध्यस्थता के माध्यम से प्रकरण के निराकरण की विधि का विस्तार से वर्णन किया गया। श्री शाक्य द्वारा पैनल अधिवक्ताओं से कहा कि विधिक सहायता का उद्धेश्य, समाज के सभी कमजोर वर्गो तक न्याय की पहुंच हो ताकि कोई भी व्यक्ति न्याय प्राप्त करने से वंचित न रह जाये। बैठक में बीमा कंपनी के अधिवक्ता महेन्द्र सिंह चौहान, ऋषि पारे तथा पक्षकारों के अधिवक्ता आरबी कुशवाह, विष्णु कौशल, इमरान अली, तथा वंदित सिंह राजपूत, अधिवक्ता आदि उपस्थित रहे।

Success Story on Public Utility Services

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिवनी

जिला सिवनी के डिवाइन कैरेक्टर पब्लिक स्कूल द्वारा दसवीं के छात्रों के टीसी के संबंध में वर्ष भर की फीस मांगी गई, जिस संबंध में छात्रों ने लोकोपयोगी सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालत में आवेदन प्रस्तुत किया गया। लोकोपयोगी सेवाओं के लिए स्थाई लोक अदालत द्वारा सर्वसम्मति से स्कूल संचालक द्वारा बरती गई इस लापरवाही के संबंध में आदेश पारित किया गया।

उक्त प्रकरण में 10वी कक्षा के छात्र शुभम सनोडिया एवं छात्र ओम कनौजिया द्वारा जानकारी दी गई थी कि वे कक्षा दसवीं के पूर्व से डिवाइन कैरेक्टर पब्लिक स्कूल बारापत्थर सिवनी में अध्ययनरत थे। उनके द्वारा कक्षा दसवीं का अध्ययन भी उसी स्कूल से किया तथा फीस का भुगतान भी वही किया। छात्रों ने बताया जब वे 10वीं की अंकसूची लेने डिवाइन करैक्टर पब्लिक स्कूल गए तब उन्हें यह जानकारी प्राप्त हुई कि डिवाइन करेक्टर पब्लिक स्कूल के पास कक्षा 9वी एवं 10वी की मान्यता नहीं है। इसलिए उनके द्वारा दसवीं की परीक्षा ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल डूंडासिवनी से दिलाई गई थी। उन्हें अंकसूची एवं टीसी ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल से लेने के लिए कहा गया। छात्र जब अपनी टीसी और अंकसूची लेने के लिए ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल पहुंचे तो वहां के संस्था संचालक द्वारा कक्षा दसवीं की पूरी फीस राशि 8500 रुपये की मांग की गई जबकि वे पूर्व में डिवाइन स्कूल को साल भर की फीस का भुगतान कर चुके थे।

लोक अदालत द्वारा पब्लिक स्कूल सिवनी को निर्देशित किया कि वह छात्र शुभम सनोडिया और ओम कनौजिया को शीघ्र ही उनकी मूल अंकसूची व स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदान करें। साथ ही ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल सिवनी को निर्देशित किया कि वह आवेदक शुभम सनोडिया एवं ओम कनौजिया के साथ परीक्षा देने वाले सभी 20 छात्रों में से जिस भी छात्र की अंकसूची व स्थानांतरण प्रमाण पत्र को छात्र द्वारा मांगने के बावजूद अवैधानिक रूप से रोक रखी है उसे पात्र छात्र को अभिलंब प्रदान करें। वही ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल सिवनी को यह भी निर्देशित किया कि वह केवल फीस अवशेष होने या वैमनस्यता के आधार पर छात्र के चरित्र के संबंध में कोई भी विपरीत टिप्पणी स्थानांतरण प्रमाण पत्र में दर्ज ना करें। साथ ही अनावेदक 1 व 2 को संयुक्ततः या पृथकतः छात्र शुभम सनोडिया एवं ओम कनौजिया में से प्रत्येक को 5000 रुपये का प्रतिकर भुगतान करें। इसके साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी सिवनी को भी निर्देशित किया गया कि आवेदक छात्रों की वर्तमान शिक्षण संस्था को सूचित करें की ज्ञानोदय पब्लिक स्कूल से स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्ति तक आवेदकों को प्रवेश शिक्षा तथा परीक्षा से वंचित न करें।

Victim Compensation Scheme

DLSA JABALPUR

Dlsa Helps in getting compensation to mother

Aplicant Laxmi Rajak, who lost her son, received compensation of Rs 2 Lakh by the District Legal Services Authority, Jabalpur under the M.P. Crime Victim Compensation Scheme 2015. Brief facts of the case are that In the Year 2016, 24 year old Rahul was murdered by the accused persons. The case was registered by police station Madan Mahal and file the chargesheet under Section 302 of IPC before the Court. The accused was convicted by the court of the Additional Sessions Judge, Jabalpur, the deceased was unmarried and her mother Lakshmi Rajak was dependent on him. She was going through financial crisis after the murder of deceased. The member of Jabalpur District Advocates Association brought her to the office of Distirict Legal Services Authority and filed an application before DLSA under MP Crime Victim Compensation Scheme 2015. After inquiry The committee awarded the compensation of Rs 2 lakh.

बेसहारा माँ को चार साल बाद मिला 2 लाख रुपए प्रतिकर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास

जिला प्राधिकरण देवास द्वारा जिला न्यायाधीश/ अध्यक्ष की अध्यक्षता में दिनांक 30 जनवरी 2021 को जिला न्यायालय में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास द्वारा म.प्र. अपराध पीडित प्रतिकर योजना 2015 के अंतर्गत हत्या, बलात्कार, पॉक्सो अधिनियम, एवं एसिड हमले के पीड़ितों से संबंधित कुल 13 प्रकरणों में अपराध पीड़ितों को कुल 38,25,000/– रूपये की राशि प्रतिकर स्वरूप दिए जाने की अनुशंसा की गई।

अपराध पीड़ितों के पक्ष में 38 लाख 25 हजार रुपये के प्रतिकर आदेश पारित

देवास (नईदुनिया प्रतिनिधि)। अपराध पीड़ितों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा प्रतिकर दिलाया जाता है, इसके अतिरिक्त मप्र अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 के अंतर्गत भी अपराध पीड़ित को प्रतिकर प्रदत्त किए जाने का प्रावधान है। इसी अनुक्रम में जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास योगेश कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में 30 जनवरी को जिला न्यायालय में जिला स्तरीय समिति व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक डॉ. शिवदयाल सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शीतल पटले, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार श्रीवास्तव उपस्थित थे।

बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास द्वारा मप्र अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 के अंतर्गत हत्या, बलात्कार, पॉक्सो अधिनियम व एसिड हमले के पीड़ितों से संबंधित कुल 13 प्रकरणों में अपराध पीड़ितों को कुल 38 लाख 25 हजार रुपये की राशि प्रतिकर स्वरूप दिए जाने की अनुशंसा की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास द्वारा हत्या के दो प्रकरणों में मृतक के आश्रितों को छह लाख रुपये, बलात्कार व पॉक्सो एक्ट के दस मामलों में पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को 29 लाख 25 हजार रुपये व एसिड हमले के एक मामले में पीड़ित को तीन लाख रुपये प्रतिकर प्रदत्त किए जाने की अनुशंसा की गई है। यह राशि शासन द्वारा यथास्थिति पीड़ितगण, मृतक के आश्रितगण को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से दी जाएगी।

योजना का स्वरूप

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास शमरोज खान ने बताया कि प्रदेश में मप्र अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 लागू है, जिसके अंतर्गत हत्या, अवयस्क बच्चों के साथ लैंगिक अपराध, सामूहिक बलात्कार, एसिड अटैक व गंभीर उपहति के मामलों में पीड़ितों को प्रतिकर प्रदत्त किए जाने का प्रावधान है। यह प्रतिकर पीड़ित के आवेदन पर या न्यायालय की अनुशंसा पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आदेशित करने पर शासन द्वारा प्रदत्त किया जाता है।

देवास जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अपराध पीडितों के पक्ष में 38 लाख 25 हजार रूपये के प्रतिकर आदेश पारित

राष्ट्रीय नवाचार ❖ देवास

अपराध पीडितों को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा प्रतिकर दिलाया जाता है इसके अतिरिक्त म.प्र. अपराध पीडित प्रतिकर योजना 2015 के अंतर्गत भी अपराध पीडित को प्रतिकर प्रदत किये जाने का प्रावधान है। इसी अनुक्रम में जिला न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास श्री योगेश कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में 30 जनवरी 2021 को जिला न्यायालय में जिला स्तरीय समिति एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक डॉ. शिवदयाल सिंह, मुख्य० कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती शीतल पटले, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रे ट श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव उपस्थित थे।

बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास द्वारा म.प्र. अपराध पीडित प्रतिकर योजना 2015 के अंतर्गत हत्या, बलात्कार, पॉक्सो अधिनियम एवं एसिड हमले के पीडितों से संबंधित कुल 13 प्रकरणों में अपराध पीडितों को कुल 38 लाख 25 हजार रूपये की राशि प्रतिकर स्वरूप दिए जाने की अनुशंसा की गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास द्वारा हत्या के 02 प्रकरणों में मृतक के आश्रितगण को 6 लाख रूपये, बलात्कार एवं पॉक्सो एक्ट के 10 मामलों में पीडि महिलाओं और बालिकाओं को 29 लाख 25 हजार रूपये एवं एसिड हमले के एक मामले में पीडित को 3 लाख रूपये प्रतिकर प्रदत्त किए जाने की अनुशंसा की गई है। यह राशि शासन द्वारा यथास्थिति पीडितगण, मृतक के आश्रितगण को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से दी जावेगी।

योजना का स्वडरूप

सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास श्री शमरोज खान ने बताया कि प्रदेश में म.प्र. अपराध पीडित प्रतिकर योजना 2015 लागू है, जिसके अंतर्गत हत्या, अवयस्क बच्चों के साथ लैंगिक अपराध, सामूहिक बलात्कार, एसिड अटैक एवं गंभीर उपहति के मामलों में पीडितों को प्रतिकर प्रदत्त किये जाने का प्रावधान है। यह प्रतिकर पीडित के आवेदन पर या न्यायालय की अनुशंसा पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आदेशित करने पर शासन द्वारा प्रदत्त किया जाता है।

देवास दर्पण

देवास जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अपराध पीड़ितों के पक्ष में 38 लाख 25 हजार रु. के प्रतिकर आदेश पारित

देवास दर्पण ★ देवास ★ निप्र

अपराध पीड़ितों को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा प्रतिकर दिलाया जाता है।

इसके अतिरिक्त म.प्र. अपराध पीडित प्रतिकर योजना 2015 के अंतर्गत भी अपराध पीडित को प्रतिकर प्रदत्त किये जाने का प्रावधान है। इसी अनुक्रम में जिला न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास श्री योगेश कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में 30 जनवरी 2021 को जिला न्यायालय में जिला स्तरीय समिति एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में पुलिस अधीक्षक डॉ. शिवदयाल सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्रीमती शीतल पटले, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री अवधेश कुमार श्रीवास्तव उपस्थित थे।

बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास द्वारा म.प्र. अपराध पीडित प्रतिकर योजना 2015 के अंतर्गत हत्या, बलात्कार, पॉक्सो अधिनियम एवं एसिड हमले के पीड़ितों से संबंधित कुल 13 प्रकरणों में अपराध पीड़ितों को कुल 38 लाख 25 हजार रूपये की राशि प्रतिकर स्वरूप दिए जाने की अनुशंसा की गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास द्वारा हत्या के 02 प्रकरणों में मृतक के आश्रितगण को 6 लाख रूपये, बलात्कार एवं पॉक्सो एक्ट के 10 मामलों में पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं को 29 लाख 25 हजार रूपये एवं एसिड हमले के एक मामले में पीड़ित को 3 लाख रूपये प्रतिकर प्रदत्त किए जाने की अनुशंसा की गई है। यह राशि शासन द्वारा यथास्थिति पीड़ितगण, मृतक के आश्रितगण को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से दी जावेगी।

योजना का स्वरूप- सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवास श्री शमरोज खान ने बताया कि प्रदेश में म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 लागू है, जिसके अंतर्गत हत्या, अवयस्क बच्चों के साथ लैंगिक अपराध, सामूहिक बलात्कार, एसिड अटैक एवं गंभीर उपहति के मामलों में पीड़ितों को प्रतिकर प्रदत्त किये जाने का प्रावधान है।

यह प्रतिकर पीड़ित के आवेदन पर या न्यायालय की अनुशंसा पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आदेशित करने पर शासन द्वारा प्रदत्त किया जाता है।

Glimpses of Awareness Camps & Inspection in the Jails

DLSA HOSHANGABAD

DLSA DEWAS

DLSA JABALPUR

DLSA SAGAR

DLSA MANDSAUR

DLSA NARSINGHPUR

DLSA PANNA

DLSA SHIVPURI

DLSA SHEOPUR

Media News…..

जिला जेल में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

बंदियों को उनके अधिकार व कानूनी उपचार के बारे में किया साक्षर

चंचल एक्सप्रेस, गुना। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजेश कुमार कोष्टा के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना द्वारा, जिला जेल गुना में शासन द्वारा निर्धारित कोविड-19 की सुरक्षा संबंधी गाईडलाईन का पालन करते हुये विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। उक्त विधिक साक्षरता शिविर में अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा ... व अपील संबंधी उपचार के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान ... कार्यक्रम में अपर जिला जज हर्ष सिंह बहरावत द्वारा ... अधिवक्ता से मुलाकात में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग किये ... के संबंध में बताया तथा विधिक सहायता, प्लीबार्गेनिंग के ... भी जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम का संचालन जिला वि... सहायता अधिकारी दीपक शर्मा द्वारा एवं आभार प्रदर्शन वरिष्ठ ... उपाधीक्षक रामलाल सहलाम द्वारा किया गया। इस अवसर ... उपस्थित रहा।

अंतिम सजा होने के बाद भी खुला है माफी का विकल्प

कार्यालय संवाददाता | जबलपुर| जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने नेताजी सुभाषचंद्र बोस सेंट्रल जेल में 14 वर्ष से अधिक सजा काट चुके बंदियों के लिए शिविर आयोजित किया। बंदियों को बताया गया कि न्यायालय से अंतिम सजा होने बाद भी सजा माफी का विकल्प खुला रहता है। प्राधिकरण के सचिव शरद भामकर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ सरकार मामले में न्याय दृष्टांत दिया है कि न्यायालय से अंतिम सजा होने के बाद भी आरोपी के पास सजा माफी का विकल्प खुला रहता है। सजायाफ्ता बंदी राष्ट्रपति, राज्यपाल और शासन के पास सजा माफी के लिए याचिका दायर कर सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सजा माफी के लिए निःशुल्क याचिका दायर की जाएगी। जेल के विधि अधिकारी अशोक सिंह ने बताया कि संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के साथ दंड प्रक्रिया संहिता में सजा माफी के प्रावधान दिए गए हैं। इन प्रावधानों के तहत सजायाफ्ता बंदी सजा माफी के लिए याचिका दायर सकते हैं। जिला विधिक सहायता अधिकारी मोहम्मद जिलानी, पैनल अधिवक्ता हीरा सिंह बैस, राजकुमार भोजक और जयराज सिंह ने बताया कि जो सजायाफ्ता बंदी सजा माफी के लिए याचिका दायर करना चाहते हैं, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उनकी याचिका निःशुल्क दायर की जाएगी। पी-4

कोई भी जन्म से अपराधी नहीं होता

रायसेन| जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पठारी स्थित जिला जेल में बंदियों के लिए जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नीलम मिश्रा ने बंदियों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोई भी महिला या पुरूष जन्म से अपराधी नहीं होता और न ही स्वेच्छा से कारागार में प्रवेश लेता है। समाज में गरीबी, अज्ञानता, भय, क्रोध व दुर्घटनात्मक परिस्थितियों के कारण व्यक्ति से अपराध घटित हो जाते है। प्रकरण के विचारण के लिए या सजा के कारण व्यक्तियों को कारागार में ... स्वच्छन्दता ... सभी मूल ... तौर पर उसे ... उपलब्ध रहते हैं। शिविर में श्रीमती मिश्रा ने कहा कि जेल में नि रुद्ध बंदियों के संवैधानिक अधिकार है, जैसे कि बंदियों को निशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह प्राप्त करने का अधिकार, संपर्क एवं मुलाकात का अधिकार, विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार, पढ़ने लिखने एवं अभिव्यक्ति का अधिकार उन्हें प्राप्त हो सकता है। जेल में बंदियों को प्राप्त होने वाली मूलभूत सुविधाओं, आहार चिकित्सा इत्यादि के बारे में जानकारी दी गई। बंदियों को प्री-म्युच्युल रिलीज के बारे में भी बताया गया। अंत में बंदियों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर भी दिए। निरीक्षण के समय जिला जेल में 216 पु... (26 सश्रम व 190 विचाराधीन बंदी), सहित कुल ... महिला (विचाराधीन बंदी) बंदी है।

कोई जन्म से अपराधी नहीं होता: मिश्रा

जिला जेल में बंदियों के लिए जागरूकता शिविर आयोजित

रायसेन, 16 फरवरी। कोई जन्म से अपराधी नहीं होता। किसी कारण वश हुए अपराध के विचारण के लिए या सजा के कारण व्यक्तियों को कारागार में रहना पड़ता है, जिससे उसकी स्वच्छन्दता प्रतिबिंबित हो जाती है, किंतु अन्य सभी मूल अधिकार, मानव अधिकार सामान्य तौर पर उसे मूलकर्तव्यों व दायित्वों के साथ उपलब्ध रहते हैं। यह बात जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नीलम मिश्रा ने जिला जेल में आयोजित विधि सहायता शिविर में कही। उन्होंने पुरुष और महिला बंदियों को उनके अधिकार बताए। उन्होंने बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह प्राप्त करने का अधिकार, सपंर्क एवं मुलाकात का अधिकार, पढ़ने लिखने एवं अभिव्यक्ति का अधिकार आदि के बारे में बताया। जेल में प्राप्त होने वाली मूलभूत सुविधाओं, आहार, चिकित्सा आदि के बारे में भी जानकारी दी। शिविर में जेल अधीक्षक जवाहर मंडलोई भी मौजूद रहे।

दीर्घ अवधि कारावास से दंडित बंदियों को बताए उनके विधिक अधिकार

सिटी भास्कर| नरसिंहपुर

...ा न्यायाधीश अध्यक्ष जिला ...करण नरसिंहपुर श्रीमती आशा ... के निर्देशानुसार 13 फरवरी को ...ीय जेल नरसिहपुर में 14 वर्ष ... अधिक दीर्घ अवधि बंदियो के ... विधिक जागरुकता एवं साक्षरता ...र का आयोजन किया गया। ...र में सचिव जिला प्राधिकरण संजय गुप्ता द्वारा आजन्म कारावास या 14 वर्ष से अधिक सजा वाले बंदियो को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सोनाधार विरूद्ध द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ प्रकरण में दिए गए दिशा-निर्देशों के परिपालन में आवश्यक जानकारी प्रदान की। साथ ही दीर्घ अवधि से दंडित बंदियों के प्रीमेच्योर रिलीज के संबंध में जेल प्रशासन के साथ आवश्यक चर्चा की जिसमें आवश्यक दिशा निर्देश न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के अधीन दिया गया। शिविर में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विवेक बुखारिया, जिलाविधिक सहायता अधिकारी राजेश सक्सेना, जेल उपअधीक्षक सुभाष सागर, सहायक जेलर संतोष हरियाल एवं जेल में स्थापित एड क्लीनिक के नियुक्त बंदी पैरालीगल वॉलेन्टियर उपस्थित थे।

Sun, 14 February 2021
https://epaper.bhaskarhindi.com/c/58505366
दैनिक भास्कर

Panch 'J'

Preserving Our Beautiful Blue Planet

A Cleanliness and Conservation Campaign on the banks of Maa Narmada

On 21.02.2021, under the guidance of Hon'ble the Patron-in-Chief & Executive Chairman, Madhya Pradesh State Legal Services Authority, a Cleanliness, Conservation and Awareness Campaign was initiated cumulatively in 15 Districts of M.P. through which the river flows. The target was to commence a cleanliness and awareness operation at the " Ghats" situated on the bank of the river & also to mobilize the local residents, NGO's, Students, local bodies etc. towards maintaining the purity of the river water.

The campaign started sharp at 11:00 am in all the 15 Districts i.e, Jabalpur, Anuppur, Mandla, Dindori, Narsinghpur, Hoshangabad, Mandleshwar, Khandwa, Harda, Dewas, Raisen, Sehore, Dhar, Alirajpur and Barwani by cleaning the banks and ghats of River. Officers & officials of Legal Services Authorities, Judges of District Judiciary, Officers from Revenue department, officials from local Nagar Palika, Students of Legal Aid Clinics established under Law and other colleges and NGOs were present.

The holy River Narmada also called as Reva or Narmada is located in Madhya Pradesh & Gujarat. It would not be an exaggeration if it be called "Life line" of our state looking at its huge contribution in many ways. But due to mass bathing and chemical wastage the physicochemical analysis of river, water clearly shows that water quality is deteriorating day by day. Therefore conservation and preservation of the river becomes one of the topmost priority.

This excellent expression of optimism reminds us that even small things have mighty impact. The entire initiative was based on promoting the thought that with the intent of protection of the environment, we must create a place where the environment doesn't need protection at all.

During the said campaign, shopkeepers at "Ghaat" were advised to maintain hygiene around their shops and also make the people aware about this. Certain districts have also registered petitions under the Public Utility Services, where it has been found that institutions have been pouring their sewage and waste material

directly into the river without effective water treatment.

The Legal Services Authorities across the M.P. will review the campaign by regular monitoring of Narmada cleanliness after this campaign with help of college students from Legal Aid Clinics.

Member-Secretary flagging of the River Cleanliness Campaign

Member-Secretary SLSA along with Chairman DLSA Jabalpur and other officials cleaning Gwari Ghat Jabalpur

GLIMPSES FROM DLSAs

DLSA ALIRAJPUR

DLSA ANUPPUR

DLSA BARWANI

DLSA DHAR

DLSA DEWAS

DLSA DINDORI

DLSA HOSHANGABAD

DLSA KHANDWA

DLSA HARDA

DLSA NARSINGHPUR

DLSA MANDLA

DLSA MANDLESHWAR

DLSA SEHORE

DLSA RAISEN

Media Coverage

TheHitavada
Jabalpur City Line | 2021-02-22 | Page- 4
ehitavada.com

MPSLSA office-bearers hold cleanliness drive

■ Staff Reporter

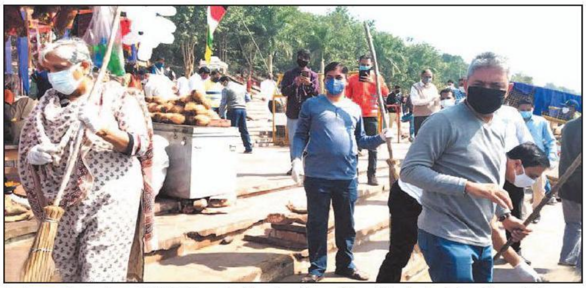

Judges and members of MPSLSA conducting cleanliness drive at the bank of river Narmada in Gwarighat.

THE Madhya Pradesh State Legal Services Authority, on Sunday, conducted cleanliness drive on the banks of river Narmada under the guidance of Chief Justice and Chief Patron of the Authority, Justice Mohammed Rafiq and Administrative Judge, Justice Prakash Shrivastava.

Senior office-bearers and members of the Authority also conducted cleanliness campaign on river banks at Anuppur, Mandla, Dindori, Narsinghpur, Hoshangabad, Mandleshwar, Khandwa, Harda, Dewas, Raisen, Sehore, Dhar, Alirajpur and Badwani from 11 am.

MPSLSA members cleaned the river banks and also created public awareness. Authority members urged people and shopkeepers to extend support in maintaining proper cleanliness at the river banks. They said as river Narmada is the lifeline of Madhya Pradesh hence it is everyone's responsibility to keep the sacred river pollution free.

MPSLSA office bearers said to ensure participation of legal fraternity in the noble cause they conducted the special campaign at river banks in aforementioned cities. They said the Authority would continue the work and keep on extending support in keeping river Narmada clean.

Amongst those participated in the drive were Member Secretary of Authority Giribala Singh, District Judge Naveen Kumar Saxena, Justice, Family Court Amitabh Mishra, Sharad Bhamkar, Secretary, District Legal Services Authority, Deepak Bansal, Chief Judicial Magistrate of District Court Jabalpur Varun Punase, Municipal Corporation Magistrate Ashish Tamara, Railway Magistrate Manjul Singh, Agasthe Verma and officers of Jabalpur Municipal Corporation, students of Legal Aid Clinics established under Law and other colleges and employees of State Authority.

Powered by Bharati Web Pvt Ltd

'न्याय' ने किया शुचिता का आचमन न्यायाधीशों ने रेवा तट पर की सफाई

ग्वारीघाट पहुँचकर कचरा उठाया, लोगों को किया जागरूक

जबलपुर। जीवनदायिनी माँ नर्मदा का आंचल लगातार मैला हो रहा है, हालात यह है कि कई जगह माँ नर्मदा का जल आचमन के लायक भी नहीं बचा। यही वजह है कि रविवार को न्यायाधीशों ने ग्वारीघाट पर न केवल झाड़ू लगाई, बल्कि तट पर फैले कचरे को उठाकर डस्टबिन में डाला। इस मौके पर न्यायाधीशों ने श्रद्धालुओं को माँ नर्मदा के जल और तट को स्वच्छ रखने की समझाइश भी दी। ग्वारीघाट तट पर रविवार सुबह 11 बजे लोगों ने जब न्यायाधीशों को झाड़ू लगाते हुए देखा तो वे चौंक गए। न्यायाधीशों के साथ विधि छात्रों और नगर निगम की टीम भी शामिल थी। न्यायाधीशों और विधि छात्रों ने नर्मदा नदी को स्वच्छ रखने का भी संदेश दिया। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा रविवार को सुबह 11 बजे से प्रदेश के 15 जिलों में एक साथ अभियान चलाया गया। इसमें जबलपुर, अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, मंडलेश्वर, खंडवा, हरदा, देवास, रायसेन, सीहोर, धार, अलीराजपुर और बड़वानी में नर्मदा नदी के तटों की सफाई की गई।

'दैनिक भास्कर' ने दिया अच्छा संदेश

विधि छात्रों का कहना रहा कि नर्मदा नदी को स्वच्छ रखने तथा जल स्त्रोतों को बचाने के लिए 'दैनिक भास्कर' द्वारा दिया गया संदेश प्रेरणादायक रहा। इसमें बताया गया कि किस तरह हमारी नदियों को क्षति पहुँच रही है और किस तरह थोड़ा सा जागरूक रहकर उन्हें बचाया जा सकता है।

ये रहे अभियान में शामिल • स्वच्छता अभियान में प्राधिकरण की सदस्य सचिव गिरिबाला सिंह, डीजे नवीन कुमार सक्सेना, कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश अमिताभ मिश्रा, प्राधिकरण के सचिव शरद भामकर, किशोर न्याय समिति के सदस्य दीपक बंसल, सीजेएम वरुण पुनासे, नगर निगम मजिस्ट्रेट आशीष ताम्रकार, रेलवे मजिस्ट्रेट मंजुल सिंह एवं नगर निगम से अगस्ते वर्मा शामिल रहे।

निरंतर मॉनिटरिंग की जाएगी • प्राधिकरण के अतिरिक्त सचिव डीके सिंह ने बताया कि यह अभियान मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एवं मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक मोहम्मद रफीक के मार्गदर्शन एवं प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में चलाया जा रहा है। नर्मदा स्वच्छता अभियान की निरंतर मॉनिटरिंग की जाएगी।

पब्लिक यूटिलिटी एक्ट के तहत याचिका • पब्लिक यूटिलिटी एक्ट के तहत कोई भी नागरिक नर्मदा में मिल रहे गंदे नाले, नर्मदा नदी की साफ-सफाई, अवैध रेत उत्खनन या अन्य विषयों को लेकर याचिका दायर कर सकता है। पी-4

दैनिक भास्कर Mon, 22 February 2021
https://epaper.bhaskarhindi.com/c/58614483

न्यायाधीशों ने लिया नर्मदा सफाई में हिस्सा घाटों से निकाली 4 क्विंटल अपशिष्ट सामग्री

जिला विधि सेवा प्राधिकरण ने विवेकानंद घाट पर चलाया नर्मदा स्वच्छता अभियान

जागरण होशंगाबाद। जिला विधि सेवा प्राधिकरण द्वारा विवेकानंद घाट पर नर्मदा स्वच्छता अभियान चलाया गया जिसमें न्यायाधीशगण एवं जिला प्राधिकरण के पैरालीगल वालेटियर्स ने भाग लिया। उल्लेखनीय है कि मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक अवस्थी के मार्गदर्शन में यह 01 दिवसीय स्वच्छता अभियान संपादित किया गया। जिसमें जिला मुख्यालय के न्यायाधीशगण प्रिवेन्द्र कुमार सेन एडीजे/ सचिव जिला विधि सेवा प्राधिकरण, सुरेश कुमार चौबे तृतीय अपर जिला न्यायाधीश, हिमांशु कौशल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, विजय पाठक जिला रजिस्ट्रार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज सोनी, निशा रघुवंशी, अमोल सांघी, जिला विधिक सहायता अधिकारी सनातन सेन, जिला विधि सेवा प्राधिकरण के पैरालीगल वालेंटियर्स तथा नगरपालिका का सफाई अमला एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण सम्मिलित हुए। इस एक दिवसीय अभियान में विवेकानंद घाट से लगभग साढ़े चार क्विंटल अपशिष्ट सामग्री निकाली गई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण केसचिव प्रिवेन्द्र कुमार सेन ने बताया कि इस प्रकार के नर्मदा स्वच्छता अभियान अब समय-समय पर आयोजित किये जायेंगे। जिसमें अशसकीय संगठनों, महाविद्यालयों एवं विद्यालयों के छात्र-छात्राओं का सहयोग भी लिया जायेगा। नर्मदा स्वच्छता हर नागरिक का दायित्व है, इसलिये इस अभियान में आम नागरिकों को जोड़ने का भी प्रयास किया जायेगा। साथ ही विवेकानंद घाट पर मौजूद आम नागरिकों से यह अपील की कि जीवन दायिनी माँ नर्मदा में हानिकारक तत्व न बहाएं, न ही साबुन और सोडे का प्रयोग कर नदी में नहाने न जाएं। इसी अवसर पर नगरीय निकाय के अमले को भी यह निर्देश दिये कि जिन स्त्रोतों से नदी में गंदा पानी छोड़ा जाता है, उन्होंने का तत्काल प्रबंध करें।

नर्मदा स्वछता के लिए किया जागरूक

खलघाट ■ राज न्यूज नेटवर्क

माँ नर्मदा की स्वच्छता को लेकर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में एवं जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री बी के द्विवेदी के मार्गदर्शन में व अपर जिला न्यायाधीश/सचिव एस विनीता की अध्यक्षता में तथा रेवा आश्रय वेलफेयर सोसायटी के तत्वाधान में आज खलघाट स्थित मा नर्मदा के घाट पर सफाई अभियान की शुरुवात की गई।

कार्यक्रम के पूर्व माँ नर्मदा का पूजन अर्चन जलाभिषेक कर किया गया कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये अपर जिला न्यायाधीश राजेशनंदेश्वर द्वारा घाटों को स्वच्छ रखने एवं पॉलीथिन का उपयोग बंद करने पर जोर दिया , व्यवहार न्यायधीश महेंद्र सिंह रावत द्वारा जल की जीवन मे उपयोगिता बताते हुए बताया कि जीवन मे जल प्राथमिक आवश्यकताओं में शामिल है जिसे स्वच्छ रखना एव स्वच्छता को सहेज कर रखना हमारा दायित्व हैं जिसे प्रत्येक नागरिक को निभाना चाहिये, व्यवहार न्यायाधीश अंकिता प्लास एवं नीलम खाटके द्वारा भी साफ ... सचिव नारायण सिंह चौहान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि विज्ञान वरदान भी हैं और अभिशाप भी,जहाँ बांध बनने से सूखे क्षेत्रो की प्यास बुझ रही हैं वही बांधो से जल का बहाव अवरुद्ध हुआ है जिस कारण अब अधिक सतर्कता एव जिम्मेदार होने की जरूरत है ,बहता पानी प्राकृतिक फिल्टर का काम करता है मगर पानी का बहाव रुकने से जल में डाली गई सामग्री बहती नही और अधिक गन्दगी करते ... आर. के. पालनपुरे द्वारा वाहन की शीघ्र व्यवस्था करने का आश्वासन दिया गया साथ ही जिला विधिक सहायता अधिकारी मुकेश कौशल द्वारा भी सम्बोधित किया गया।अंत मे अपर जिला न्यायाधीश महोदय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कि सचिव द्वारा मानव सभ्यता के लिए जल की उपयोगिता बताते हुए कहा कि सभ्यताओ का विकास नदियों के किनारे ही हुआ है ,निर्मल जल हर जीव की आवश्यकता हैं जिसे बचाकर रखना ... यह जानकारी दी गई कि आज नर्मदा सफाई अभियान की शुरुवात की गई जो निरंतर आगे भी चलता रहेगा, नियमित अंतराल से अभियान की निगरानी व समय समय कार्यक्रम आयोजित किये जाते रहेंगे ।कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता राकेश जगताप ने किया।कार्यक्रम में अभिभाषक संघ अध्यक्ष लाल मोहमद शेख ,सचिव शांतिलाल राठौर , अभिभाषक जितेंद्र पाटीदार,व्यापारी एसोशिसन खलघाट के अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण पाटीदार ,उपाध्यक्ष सोनी ,कोषाध्यक्ष विमल सिंह चौहान अपने व्यापारी बन्धुओ के साथ कार्यक्रम में उपस्थित हुए उनके द्वारा बताया गया कि वे अपनी एसोसिएशन की कार्यकारिणी में प्रस्ताव करेंगे कि पॉलीथिन का उपयोग कम करते हुए बंद किया जावेगा।रेवा आश्रय के अध्यक्ष राहुल डोंगले भी अन्य सदस्यों के साथ सफ़ाई अभियान में सहयोगी बने। ग्राम पंचायत सरपंच यशोदा बाई ,सचिव सेवकराम चौधरी द्वारा भी पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया गया। इस अवसर पर प्रेस क्लब अध्यक्ष जितेंद्र सिंह चौहान उपाध्यक्ष ...

नर्मदा स्वछता के लिए किया जागरूक

खलघाट (मुकेश जाधव)

माँ नर्मदा की स्वच्छता को लेकर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में एवं जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री बी के द्विवेदी के मार्गदर्शन में व अपर जिला न्यायाधीश/सचिव एस विनीता की अध्यक्षता में तथा रेवा आश्रय वेलफेयर सोसायटी के तत्वाधान में आज खलघाट स्थित मा नर्मदा के घाट पर सफाई अभियान की शुरुवात की गई।कार्यक्रम के पूर्व माँ नर्मदा का पूजन अर्चन जलाभिषेक कर किया गया कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये अपर जिला न्यायाधीश राजेशनंदेश्वर द्वारा घाटों को स्वच्छ रखने एवं पॉलीथिन का उपयोग बंद करने पर जोर दिया , व्यवहार न्यायधीश महेंद्र सिंह रावत द्वारा जल की जीवन मे उपयोगिता बताते हुए बताया कि जीवन मे जल प्राथमिक आवश्यकताओं में शामिल है जिसे स्वच्छ रखना एव स्वच्छता को सहेज कर रखना हमारा दायित्व हैं जिसे प्रत्येक नागरिक को निभाना चाहिये, व्यवहार न्यायाधीश अंकिता प्लास, एवं नीलम खाटके द्वारा भी साफ सफाई के लिए नागरिको को जागरूक रहने एवं अन्य को भी जागरूक करने की बात कही। रेवा आश्रय वेलफेयर सोसायटी के सचिव नारायण सिंह चौहान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि विज्ञान वरदान भी हैं और अभिशाप भी,जहाँ बांध बनने से सुखे क्षेत्रो की प्यास बुझ रही हैं वही बांधो से जल का बहाव अवरुद्ध हुआ है जिस कारण अब अधिक सतर्कता एव जिम्मेदार होने की जरूरत है ,बहता पानी प्राकृतिक फिल्टर का काम करता है मगर पानी का बहाव रुकने से जल में डाली गई सामग्री बहती नही और अधिक गन्दगी करते हुए पानी को दूषित करती है । इस अवसर पर ग्राम पंचायत के लिए एक कचरा वाहन मुहैया करवाने की भी मांग की गई जिस पर जनपद पंचायत सीईओ आर. के. पालनपुरे द्वारा वाहन की शीघ्र व्यवस्था करने का आश्वासन दिया गया साथ ही जिला विधिक सहायता अधिकारी मुकेश कौशल द्वारा भी सम्बोधित किया गया।अंत मे अपर जिला न्यायाधीश महोदय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कि सचिव द्वारा मानव सभ्यता के लिए जल की उपयोगिता बताते हुए कहा कि सभ्यताओ का विकास नदियों के किनारे ही हुआ है ,निर्मल जल हर जीव की आवश्यकता हैं जिसे बचाकर रखना सभी की जिम्मेदारी है विशेषकर जो नर्मदा जी के किनारे रहते है वे बेहतर तरीके से जल को सुरक्षित रखने में योगदान दे सकते हैं।

साथ ही यह जानकारी दी गई कि आज नर्मदा सफाई अभियान की शुरुवात की गई जो निरंतर आगे भी चलता रहेगा, नियमित अंतराल से अभियान की निगरानी व समय समय कार्यक्रम आयोजित किये जाते रहेंगे ।कार्यक्रम का संचालन अधिवक्ता राकेश जगताप ने किया।कार्यक्रम में अभिभाषक संघ अध्यक्ष लाल मोहमद शेख, सचिव शांतिलाल राठौर, अभिभाषक जितेंद्र पाटीदार, व्यापारी

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने विवेकानंद घाट पर चलाया नर्मदा स्वच्छता अभियान

होशंगाबाद (प्रदेश टाईम्स)। नर्मदा स्वच्छता अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में न्यायाधीशगणों व पैरालीगल वालेंटियर्स ने नर्मदा के विवेकानंद घाट पर स्वच्छता अभियान के तहत चार क्विंटल अवशिष्ट सामग्रियां निकाली। जिसमें न्यायाधीशगण एवं जिला प्राधिकरण के पैरालीगल वालेंटियर्स ने भाग लिया। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देश पर तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक अवस्थी के मार्गदर्शन में यह एक दिवसीय स्वच्छता अभियान संपादित किया गया था। जिसमें जिला मुख्यालय के न्यायाधीशगण प्रिवेन्द्र कुमार सेन सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सुरेश कुमार चौबे तृतीय अपर जिला न्यायाधीश, हिमाशु कौशल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, विजय पाठक जिला रजिस्ट्रार व न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नीरज सोनी, निशा रघुवंशी, अमोल सांघी, जिला विधिक सहायता अधिकारी सनातन सेन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरालीगल वालेंटियर्स सीमा कैथवास, आलोक शर्मा, भावना विष्ठ, शेरसिंह बडकुर, अंजना स्वर्णकार, रिचा शर्मा, प्रियंका तिवारी, सरस्वती मालवीय, रूपराम यादव, रीता यादव, टीकाराम गौर, रेखा सराठे, पुष्पा वर्मा, राजेंद्र सराठे, अशोक सहित नगर पालिका का सफाई अमला एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण सम्मिलित हुए।

न्यायाधीशों ने शुरू किया नर्मदा स्वच्छता अभियान !

अविनाश दुबे ● अनूपपुर

अमरकंटक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर एवं जिला न्यायाधीश श्री कृष्ण कांत शर्मा के निर्देश पर दिनांक 21-2-21 को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनूपपुर द्वारा नर्मदा स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया गया द्य माँ नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से स्वच्छता अभियान की शुरुआत न्यायाधीश भूभास्कर यादव ने किया द्य अभियान में पत्रकार अविनाश दुबे, वालिन्टीयर महेंद्र श्रीवास्तव, संजय सैलानी, दिलीप कुमार भरिया, दयाराम सिंह ,रवि कांत मिश्रा, नीलम राठौर, कमला सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता बुद्धेलाल आदि अनेक लोग शामिल हुए द्य

कार्यक्रम की शुरुआत माँ नर्मदा की मुख्य उद्गम स्थल मंदिर प्रांगण से प्रारंभ की गई, नर्मदा कुंड व उसके आसपास पड़े हुए पन्नी ,प्लास्टिक डिस्पोजल, पॉलीथिन, नारियल के टुकड़े पाउच के रैपर आदि सभी सामान को उठाकर बोलियों में भर कर हटाया गया। पश्चात टीम ने आगे जाकर शम्भु धारा के मार्ग में भी सफाई कार्य किया। शम्भू धारा जाने के मार्ग में अनेक जगह शराब के बोतल पडे हुए पाए गए, जिस पर न्यायाधीश द्वारा चिंता व्यक्त की गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ

जिला प्राधिकरण झाबुआ द्वारा दिनांक 25.02.2021 को शिवगंगा ग्राम गुरूकुल संस्था धरमपुरी जिला झाबुआ में "पंच–ज" अभियान अंतर्गत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। "पंच–ज" अभियान के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ के द्वारा जल, जंगल, जमीन, जन और जानवर के संतुलित पर्यावरणीय विकास की अवधारणा के आधार पर प्रकृति संरक्षण के लिये कार्य किया जा रहा है जिसमें वृक्षारोपण, नदीयों एवं तालाबों की साफ–सफाई एवं जल संरक्षण, वाटर हार्वेस्टिंग, पशु–पक्षियों की सुरक्षा एवं उनके तथा उनकी बीमारियों के लिये टीकाकरण/उपचार आदि प्रकृति संरक्षण के कार्यो के संबंध में शिविरों के माध्यम से आम नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है। धरमपुरी शिवगंगा आश्रम में आस–पास के गांव के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता एवं शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं, आदिवासियों के अधिकारों के संरक्षण एवं प्रवर्तन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। शिविर में नालसा एवं राज्य प्राधिकरण की योजनाओं के संबंध में ब्रोशर्स का भी वितरण किया गया। उक्त शिविर में 7 महिलाएं एवं 78 पुरूष लाभांवित हुए।

शिवगंगा आश्रम धरमपुरी में पंच-ज शिविर लगाया, अपर जिला न्यायाधीश ने कहा

प्रकृति के संरक्षण से ही मानव का अस्तित्व है

भास्कर संवाददाता | झाबुआ

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने शिवगंगा समग्र ग्राम विकास आश्रम धरमपुरी में पंच-ज जागरूकता शिविर का आयोजन किया। कार्यक्रम जिला जज राजेश कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में हुआ। अध्यक्षता पद्मश्री महेश शर्मा ने की।

पंच-ज अभियान के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ द्वारा जल, जंगल, जमीन, जन और जानवर के संतुलित पर्यावरणीय विकास की अवधारणा के आधार पर प्रकृति संरक्षण के लिए कार्य किया जा रहा है। जिसमें पौधारोपण, नदियों एवं तालाबों की साफ-सफाई एवं जल संरक्षण, वाटर हार्वेस्टिंग, पशु-पक्षियों की सुरक्षा एवं उनके तथा उनकी बीमारियों के लिए टीकाकरण/उपचार आदि प्रकृति संरक्षण के कार्यों के संबंध में शिविरों के माध्यम से आम नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है। शिविर को संबोधित करते हुए अपर जिला न्यायाधीश राजेश देवलिया ने कहा मानव जीवन के अस्तित्व के लिए प्रकृति का संरक्षण आवश्यक है। यदि नदी, तालाब, वृक्ष, पशु-पक्षियों पर संकट आए तो निश्चित ही मानव जीवन खतरे में पड़ जाएगा। पद्मश्री शर्मा ने कहा झाबुआ जिला एवं उससे आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन जल संरचनाएं एवं तालाब निर्माण का कार्य कराया जा रहा है। जिससे प्रकृति संरक्षण बना रहें एवं लोगों को खेती-बाड़ी और पशुओं के लिए जल की पर्याप्त मात्र उपलब्ध रहे। शिविर में नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता एवं शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। साथ ही आदिवासियों के अधिकारों के संरक्षण एवं प्रवर्तन के संबंध में विस्तार से बताया। इस अवसर पर समाजसेवी बहादुरसिंह डामोर, नितिन धाकड़, जिला विधिक सहायता अधिकारी मुकेश कौशल मौजूद थे। संचालन शिवगंगा ग्राम गुरुकुल संस्था के प्रबंधक राजाराम कटारा ने किया।

शिवगंगा आश्रम पर पहुंचे अतिथियों का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया।

प्रकृति के संरक्षण से ही मानव का अस्तित्व है : देवलिया

झाबुआ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय झाबुआ की ओर से 25 फरवरी को शिवगंगा समग्र ग्राम विकास आश्रम धरमपुरी में च्च्पंच-जज्ज जागरूकता शिविर का आयोजन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला जज राजेश कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन एवं अपर जिला जज, सचिव राजेश देवलिया के निर्देशन में तथा पद्मश्री महेश शर्मा अध्यक्ष शिवगंगा ग्राम गुरूकुल संस्था धरमपुरी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। च्च्पंच-जज्ज अभियान के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जल, जंगल, जमीन, जन और जानवर के संतुलित पर्यावरणीय विकास की अवधारणा के आधार पर प्रकृति संरक्षण के लिये कार्य किया जा रहा है जिसमें वृक्षारोपण, नदीयों एवं तालाबों की साफ-सफाई एवं जल संरक्षण, वाटर हार्वेस्टिंग, पशु-पक्षियों की सुरक्षा एवं उनके तथा उनकी बीमारियों के लिये टीकाकरण/उपचार आदि प्रकृति संरक्षण के कार्यो के संबंध में शिविरों के माध्यम से आम नागरिकों को जागरूक किया जा रहा है। आश्रम में आस-पास के ग्रामवासियों संबोधित करते हुए अपर जिला न्यायाधीश देवलिया ने कहा कि मानव जीवन के अस्तित्व के लिये प्रकृति का संरक्षण आवश्यक है और यदि नदी, तालाब, वृक्ष, पशु-पक्षियों पर संकट आयेगा तो निश्चित ही मानव जीवन खतरे में पड़ जायेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुये पद्मश्री शर्मा ने कहा कि झाबुआ जिला एवं उससे आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन जल संरचनाऐं एवं तालाब निर्माण का कार्य कराया जा रहा है जिससे प्रकृति संरक्षण बना रहें एवं लोगों को खेती बाड़ी और पशुओं के लिये जल की पर्याप्त मात्र उपलब्ध रहें। शिविर में नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता एवं शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं, आदिवासियों के अधिकारों के संरक्षण एवं प्रवर्तन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी तथा गांव समुदाय में आपसी भाईचारे और शांति से रहने एवं अपराधों से दूर रहने की समझाईश दी। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से बहादुरसिंह डामोर, नितिन धाकड, जिला विधिक सहायता अधिकारी मुकेश कौशल उपस्थित रहे। संचालन राजाराम कटारा ने किया।

Legal Services to Children under NALSA Scheme

Visits of Child Care Institutions

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालाघाट

सचिव, जिला प्राधिकरण बालाघाट द्वारा प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड के साथ सावित्री ज्योति बालिका आश्रय गृह, बालाघाट में उपस्थित होकर संस्था का निरीक्षण किया गया एवं बालिकाओं को स्वच्छता के संबंध में प्रशिक्षित किया गया। शिविर के दौरान बालिकाओं को आवश्यक कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई। इसी प्रकार संस्था स्नेह छाया बालक आश्रय गृह में जाकर संस्था का निरीक्षण किया गया एवं बालकों को शिविर के दौरान कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गई।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रतलाम

जिला प्राधिकरण रतलाम द्वारा दिनांक 02.02.2021 बाल संप्रेषण गृह, बिरियाखेड़ी रतलाम का आकस्मिक निरीक्षण एवं तात्कालीक परिस्थितियों में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया।

निरीक्षण में पाया गया कि बाल संप्रेषण गृह, बिरियाखेड़ी रतलाम में निरीक्षण के दौरान 16 विधि विरूद्व बालक निरूद्व पाये गये। निरीक्षण के दौरान सभी विधि विरूद्व बालकों से निरीक्षण टीम द्वारा व्यक्तिगत चर्चा कर उनके प्रकरण की जानकारी, उनके निरूद्व रहने की अवधि तथा उनके खान–पान, सुरक्षा व्यवस्था व उनकी आवश्यकताओं के संबंध में पूछताछ की गई।

Organising Camp For Children

DLSA JABALPUR

To Stop Child Trafficking Legal Awareness Programme was organised on 12 February at Khapa Guara Bargi

Prevent Marriage of children a legal literacy camp was organised on 12th February 2021 at Khapa Guara Bargi Nagar Panchayat.Audience were apprise about laws relating to child marriage, child labour, trafficking etc.

खापा पंचायत में बच्चों से जुड़े मामलों की रोकथाम के लिए लगाया विधिक साक्षरता शिविर

जबलपुर। कच्ची उम्र में शादी रोको जीवन की बबार्दी रोको इस नारे के साथ आज बरगी नगर के ग्राम पंचायत खापा ग्वारी में बच्चों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मामले जैसे बाल विवाह बाल मजदूरी यौन शोषण चाइल्ड ट्रैफिकिंग चाइल्ड प्रोटेक्शन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के सचिव शरद भूमकर तथा जिला विधिक सहायता अधिकारी मोहम्मद जीलानी के निर्देशन पर ग्राम पंचायत खापा ग्वारी में एक दिवसीय विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्राम पंचायत खापा के सरपंच कुंवर पटेल सचिव विनोद साहू तथा ग्राम रोजगार सहायक शिव कुमार पटेल की उपस्थिति में महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी दी गई। शिविर में नालसा द्वारा चलाई जा रही विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी पैरा लीगल वालंटियर परवेज खान तथा परमानंद कटिया द्वारा ग्रामीणों को उपलब्ध कराई गई। ग्रामीणों को यह भी बताया गया कि अब न्याय पाना बहुत ही सहज और सरल हो गया है ग्रामीण न्यायालय से सीधा जुड़कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए उन्हें सिर्फ पैरा लीगल वालंटियर की मदद लेनी है। इस अवसर पर मूलचंद पटेल धर्मेंद्र पटेल,गणेश प्रसाद, नरेंद्र पटेल,राजेश्वरी हरछठ या झारिया तथा ग्रामीणों की उपस्थिति रही।

DLSA NARSINGHPUR

DLSA Narsinghpur organized a camp on 12-02-2021 at Chanakya Vidhyapeeth Narsinghpur in presence of Secretary, DLSA & District Legal Aid Officer Narsinghpur with a team of PLVs on the scheme of NALSA, Child Friendly Legal Services to Children and their Protection. During the camp Secretary has made aware to all present students about the Child Friendly Scheme & other provisions of various laws related to children & their protection specially Pocso, Domestic Voilence & Trafic rules etc. In this camp 60 particiapants were benefitted.

संविधान बच्चों को देश के नागरिक की तरह अधिकार प्रदान करता है

▪ चाणक्य विद्यापीठ में विधिक साक्षरता शिविर

भास्कर न्यूज | नरसिंहपुर

जिला व सत्र न्यायाधीश श्रीमती आशा गोधा के मार्गदर्शन में चाणक्य विद्यापीठ में विधिक साक्षरता व जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण संजय कुमार गुप्ता द्वारा छात्र-छात्राओं को बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाओं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाओं योजना 2015 की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान बच्चों को देश के नागरिक की तरह अधिकार प्रदान करता है। उनका विशेष स्तर बनाए रखते हुए विशेष कानून भी बनाए गए हैं। छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चे निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त पास्को एक्ट घरेलू हिंसा बच्चियों के अधिकार यातायात नियमों की जानकारी छात्र छात्राओं को दी गई जिला विधिक सहायता अधिकारी राजेश कुमार सक्सेना द्वारा छात्र-छात्राओं को साईबर क्राईम संबंधी कानून की जानकारी देते हुए इंटरनेट के माध्यम से सोशल साईट्स के उपयोग के नुकसान एवं फायदे के बारे में विस्तार से जानकारी दी और कहा कि हमें सोशल साईट का उपयोग केवल अपने ज्ञानवर्धन के लिए करना चाहिए। किसी भी प्रकार के मैसेज या वीडियो को सोच-समझकर ही किसी अन्य व्यक्ति को भेजें अन्यथा कि... के द्वारा शिकायत करने पर इस... गलत उपयोग के लिए आपके उप... कानूनी कार्यवाही हो सकती है, जिस... सजा का भी प्रावधान है। सरका... द्वारा इसके लिए सख्त कानून बना... गए हैं। आपको कानून की जानका... हो इसी उद्देश्य के लिए इस विधि... साक्षरता शिविर का अयोजन कि... गया है। उपरोक्त विधिक साक्षर... शिविर में विद्यालय के प्राचार्य राजे... राजपूत, शैलेंद्र श्रीवास्तव, पैरा लीग... वालंटियर पीयूष दीक्षित का सहयो... प्राप्त हुआ।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन

जिला प्राधिकरण रायसेन द्वारा दिनांक 19.02.2021 को शासकीय आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिला रायसेन में लैंगिक अपराधों का बालकों का संरक्षण एवं **नालसा** (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाऐं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015 के संबंध में एवं जे.जे एक्त विषय पर शिविर का आयोजन किया। शिविर में शासकीय आदर्श कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिला रायसेन प्रभारी प्राचार्य, शिक्षकगण एवं विद्यालय का समस्त स्टॉफ उपस्थित रहा। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन द्वारा शिविर में छात्राओं को मैत्रीपूर्ण व्यवहार के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई साथ ही शिविर में उपस्थित छात्राओं को माहवारी के दौरान स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षित और उन्नत साधनों की उपलब्धता के संबंध में बताया। छात्राओं को गुड टच एवं बेड टच के बारे में भी बताया। उक्तशिविर में लगभग 50 छात्राऍं उपस्थित हुई।

Glimpses of Camps

DLSA SHIVPURI

DLSA CHHATARPUR

DLSA SHINGRAULI

DLSA BETUL

Legal Services to Senior Citizen under NALSA Scheme

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा

'तेलंगाना से भटकी वृद्धा राजम्मा को पहुंचाया घर'

दिनांक **28.12.2020** को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा की ओर से नियमित मासिक विजिट के दौरान जानकारी प्राप्त हुई कि एक वृद्ध महिला जो कि हिन्दी भाषा नहीं जानती है और अपना नाम व पता भी नहीं बता पा रहीं थी, वह भटक कर रेल से खण्डवा आ गई है और शहर में असहाय और बेबस भटक रहीं थी, जिसकों स्थानीय समाजसेवियों की मदद से वृद्धाश्रम में आश्रय दिया। सचिव जिला प्राधिकरण द्वारा वृद्धाश्रम के अन्य वृद्धों से चर्चा करने पर जानकारी लगी कि वह वृद्धा तेलगु भाषा में कुछ बता रही है। जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा आश्रम के संचालक के समन्वय से तेलगु भाषा के जानकार व्यक्ति से सम्पर्क किया गया तथा अपने मोबाईल फोन से वृद्धा एवं तेलगु भाषी व्यक्ति से बातचीत कराई गई एवं मुख्य जानकारी प्राप्त की गई। बातचीत पर से उक्त वृद्धा का नाम **श्रीमती राजम्मा पति मलय, निवासी सिरपुर, कागजनगरम, तेलंगाना राज्य** ज्ञात हुआ। वृद्धा के बारे में यह जानकारी भी पता चली कि कागजनगरम् में उसके किसी रिश्तेदार ने उसको जबरन रेल में बैठा कर वहाँ से भगा दिया था। वृद्धा को हिम्मत एवं दिलासा दिलाई गयी कि विधिक सेवा संस्था द्वारा उसे पुनः उसके घर तेलंगाना राज्य पहुंचा दिया जाएगा। वृद्धा जो कि बदहवाश एवं असहाय हो चुकी थी, उसे पुनः आशा की नई किरण मिल गई।

सीड संस्था द्वारा संचालित वृद्धाश्रम के प्रबंधक द्वारा दिनांक 06.01.2021 को प्रातः 10 बजे आवेदन–पत्र प्रस्तुत कर उसी दिन प्रातः 11:40 बजे की ट्रेन से वृद्धा राजम्मा को उसे अपने घर कागजनगर, मलचरियाल, राज्य तेलगांना पहुँचाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा में प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पर से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा के सचिव द्वारा हैदराबाद (तैंलगाना) पदस्थ न्यायिक अधिकारी से सम्पर्क कर उक्त वृद्धा के घर वापसी हेतु सहयोग एवं समन्वय के लिए चर्चा की गई। जिला विधिक सहायता अधिकारी ने आवेदन–पत्र में उल्लेखित तात्कालिक परिस्थितियों की अतिसंवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल सक्रियता के साथ बुजुर्ग महिला राजम्मा को

लगभग देढ़ घंटे बाद जाने वाली ट्रेन से भिजवाने हेतु कार्यवाही प्रारंभ कर दी। उक्त के संबंध में सचिव जिला प्राधिकरण के निर्देशन में स्पेशल रेलवे मजिस्ट्रेट एवं रेलवे चाईल्ड लाईन से समन्वय स्थापित किया गया तथा वृद्धा राजम्मा को खण्डवा से ट्रेन द्वारा तेलंगाना राज्य भेजने हेतु एक टीम तैयार की गई। उक्त टीम में रेलवे चाईल्ड लाईन, खण्डवा के कोर्डिनेटर श्री दीपक लाड़ को आदेशित किया गया तथा रेलवे न्यायालय एवं आरपीएफ से सहयोग प्राप्त किया गया। रेलवे चाईल्ड लाईन की दो मेंबर्स की टीम द्वारा वृद्धा राजम्मा को अपने संरक्षण में लेकर खण्डवा से तेलंगाना राज्य के कागजनगरम के लिए नियत समय पर रवाना हुए। लगभग 24 घंटों से अधिक की यात्रा के पश्चात् टीम मेंबर्स उक्त बुजुर्ग महिला श्रीमति राजम्मा को लेकर कागजनगर पहुंची। वहॉ आरपीएफ, स्थानीय प्रशासन की मदद से महिला राजम्मा को उसकी छोटी बहन लक्ष्मी मॉ को खोजा गया तथा आवश्यक विधिक कार्यवाई पूर्ण कर उनके संरक्षण में उनके गांव गोलेटी, जिला असीफाबाद, तेलंगाना में सुपुर्द कर दिया गया।

वृद्ध महिला राजम्मा को रेल्वे चाइल्ड लाइन ने पहुंचाया अपने घर

खंडवा वृद्ध महिला उम्र लगभग 65 वर्ष खंडवा स्टेशन पर उतरी और अपने घर वापस जाना भूल गई एवं उक्त महिला को केवल तेलुगु भाषा का ही ज्ञान था और उसे हिन्दी नहीं आती थीए इस कारण से महिला से बात करने में काफी परेशानी आई। इस संबंध में जब रेल्वे चाईल्ड लाईन खंडवा को जानकारी लगी तो रेल्वे चाईल्ड लाईन के को.आर्डिनेटर श्री दीपक लाड़ ने सिस्टर एमिनी से उक्त जानकारी से अवगत करायाए तो उनके द्वारा निर्देशित किया कि उक्त महिला को सकुशल उनके घर भेजने संबंधी कार्यवाही करेए इसके लिये रेल्वे चाईल्ड लाईनए खंडवा हरसंभव सहायता देगा।

तत्पश्चात् जिला विधिक सेवा प्राधिकरणएखंडवा एवं रेल्वे चाईल्ड लाईनए खंडवा के संयुक्त सहयोग से खंडवा में फंसी वृद्ध महिला राजम्मा एवं तेलुगु भाषा जानकार व्यक्ति को बुलाकर उसके घर का पता लगाया और उक्त महिला को टेऊन के माध्यम से दिनांक 06ण01ण2021 को सुरक्षित घर भेजने की व्यवस्था की। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला सत्र न्यायाधीश श्रीमान हरिओम अतलसिया एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चंद्रेश मंडलाई के द्वारा रेल्वें चाईल्ड लाईन खंडवा के को.आडिनेटर श्री दीपक लाड के समन्वय से महिला को रेल्वे चाईल्ड लाईन खंडवा के टीम मेंबर श्री निखिल सावलें एवं वालेंटियर श्री सोनू एंकलें के द्वारा महिला को टेऊन से घर भेजा गया एवं महिला को अपने घर सुरक्षित पहुंचाने में खंडवा शहर की सामाजिक कार्यकर्ता सुश्री निवेदिता तिवारी की भी अहम भूमिका रही एवं सुश्री निवेदिता के द्वारा कागज नगर के लोकल एनजीओ से बात कर महिला राजम्मा के परिजन को खोजा गया ओर महिला से मिलाया गया।

इस प्रकार एक वृद्ध महिला जिसे हिन्दी भाषा का ज्ञान न होने के बावजूद भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं रेल्वे चाईल्ड लाईनए खंडवा के सहयोग से अपने निवास स्थान पर पहुंचाने में सफलता प्राप्त की। इस पर उक्त वृद्ध महिला द्वारा धन्यवाद ज्ञापित किया।

इस प्रकार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा द्वारा असहाय, लाचार एवं भटकी हुयी उक्त वृद्ध महिला राजम्मा को खण्डवा से उसके घर कागजनगर, तेलंगाना राज्य वापस सकुशल पहुंचा दिया गया। राजम्मा अपने परिवार के लोगों से पुनः मिल गयी तथा उसकी समस्या का निराकरण हो गया तथा समाज की मुख्यधारा से जुड़ गयी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झाबुआ

जिला प्राधिकरण झाबुआ द्वारा दिनांक 11.02.2021 को ग्राम पंचायत पिटोल बडी एवं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिटोल जिला झाबुआ में वृद्धजनों एवं महिला सशक्तिकरण पर विधिक साक्षरता जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन किया गया। उक्त शिविर में वृद्धजनों के अधिकार, नालसा (वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवाएं) योजना–2016, निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह योजना, महिला अधिकार, मानव अधिकार, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण एवं बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। उक्त कार्यक्रम में लगभग 140 पुरूष एवं 65 महिलाएं लाभांवित हुये।

जागरूकता • ग्राम पंचायत पिटोल बड़ी में हुए कार्यक्रम में अपर जिला न्यायाधीश राजेश देवलिया ने कहा

वृद्धजन समाज के आभूषण, उनका सम्मान व सुरक्षा हमारा कर्तव्य

भास्कर संवाददाता | पिटोल

ग्राम पंचायत पिटोल बडी एवं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिटोल में महिला सशक्तिकरण एवं जागरूकता कार्यक्रम हुआ। आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन में किया गया।

प्राधिकरण के सचिव व अपर जिला न्यायाधीश राजेश देवलिया पिटोल बड़ी में कहा वृद्धजन हमारे समाज के आभूषण है। उनका सम्मान एवं सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा संविधान में प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने के लिए कर्तव्यों का निर्वाहन आवश्यक है। इसके अलावा विधिक सेवाएं तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने नशा मुक्ति पर लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि नशा सड़क पर सुरक्षा घटाने के साथ ही आपराधिक प्रवृत्ति को भी बढ़ावा देता है। अपराध मुक्त सुरक्षित वातावरण के लिए नशा मुक्ति भी जरूरी है| इस दौरान नालसा (वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवा) योजना-2016 अंतर्गत ग्राम पिटोल बडी के 7 वरिष्ठ नागरिकों सुखनंदन, जगदीश नागर, मडिया काका, मांगीलाल, हकला गुंडिया, मंगा काका, सदाशिव नागर का शा-श्रीफल भेंटकर सम्मान किया। पंचायत में उपस्थित ग्रामीणजनों को उप निरीक्षक पुलिस यातायात झाबुआ रामसिंह मालवीय ने 32वां सड़क सुरक्षा माह अभियान के अंतर्गत यातायात के बारे में विस्तार से जानकारी दी। ग्राम पंचायत पिटोल बडी सरपंच काना गुंडिया ने आभार माना।

वरिष्ठ नागरिकों का पुष्पमाला और शाल ओढ़ाकर सम्मान किया गया।

विद्यार्थियों को बताया शिक्षा महत्व : शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में भी शिविर लगाया गया। जिसमें प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी ज्ञानेंद्र ओझा ने छात्राओं को शिक्षा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। नेहरू युवा केंद्र झाबुआ प्रीति ने छात्राओं को प्रत्येक क्षेत्र में आगे आने के लिए प्रेरित किया। सहायक पुलिस उपनिरीक्षक अनिता तोमर ने छात्राओं को महिला सुरक्षा के संबंध में चलाए जा रहे जागरूकता एवं सहायता योजना की विस्तार से जानकारी दी। शिविर में अधिवक्ता हरीशचंद्र खतेड़िया ने भी छात्राओं को संबोधित किया। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिटोल में हुए कार्यक्रम का संचालन सहायक शिक्षक कमेश बिलवाल ने किया।

Glimpses of Camps for Senior Citizen

DLSA SHIVPURI

DLSA HARDA

DLSA DEWAS

DLSA CHHATARPUR

वृद्धजन समाज के अभूषण उनका सम्मान, सुरक्षा हमारा कर्तव्य

झाबुआ। गुरूवार को झाबुआ विखं की ग्रापं पिटोल बडी एवं शा. कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिटोल में महिला सशक्तिकरण एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजेश कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन एवं प्राधिकरण के सचिव, अपर जिला न्यायाधीश राजेश देवलिया के निर्देशन में किया गया। ग्रपं पिटोल बडी में उपस्थित ग्रामीजनों को संबोधित करते हुवे देवलिया ने कहा कि वृद्धजन हमारे समाज के अभूषण है, उनका सम्मान एवं सुरक्षा हमारा कर्तव्य है। उन्होंगे आगे कहा कि संविधान में प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने के लिए कर्तव्यों का निर्वाहन आवश्यक है, क्योंकि एक व्यक्ति का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति का कर्तव्य होता है और अधिकार और कर्तव्य एक-दूसरे के पूरक है। जागरूकता ही अधिकारों को प्राप्त करने की कुंजी है। नि:शुल्क विधिक सहायता, महिला अधिकार, मानव अधिकार, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण एवं बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाऐं तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी। नालसा (वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवा) योजना-2016 अंतर्गत ग्राम पिटोल बडी के 7 वरिष्ठ नागरिकों में सुखनंदन, जगदीश नागर, मडिया काका, मांगीलाल, हकला गुडिया, मंगा काका, सदाशिव नागर को शॉल, श्रीफल और पुष्पहार पहनाकर सम्मान किया गया। पंचायत में उपस्थित ग्रामीणजनों को उप निरीक्षक पुलिस यातायात रामसिंह मालवीय ने 32वां सड़क सुरक्षा माह अभियान के अंतर्गत यातायात के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अंत में पिटोल सरपंच काना गुंडिया ने आभार माना। वही शा. कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिविर में जिला शिक्षा अधिकारी ज्ञानेन्द्र ओझा ने उपस्थित छात्राओं को शिक्षा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। नेहरू युवा केन्द्र प्रीति ने छात्राओं को प्रत्येक क्षेत्र में आगे आने के लिये प्रेरित किया। सहायक पुलिस उपनिरीक्षक अनिता तोमर ने छात्राओं को महिला सुरक्षा के संबंध में चलाये जा रहे जागरूकता एवं सहायता योजना की विस्तार से जानकारी देकर छात्राओं को किसी परेशानी एवं प्रताड़ना के संबंध में हौसला बढ़ाते हुए अपराधों के विरूद्ध आवाज उठाने की समझाईश दी। शिविर में अधिवक्ता हरीशचंद्र खतेडिया ने भी स्कूली छात्राओं को भी संबोधित किया। संचालन संस्था के शिक्षक कमेश बिलवाल ने किया।

वृद्धजन हमारे समाज के अभूषण है ,उनका सम्मान एवं सुरक्षा हमारा कर्तव्य है

सिंघम रिपोर्टर ❐ झाबुआ

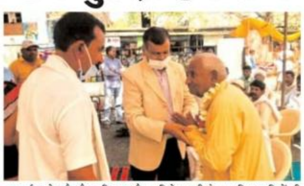

ग्राम पंचायत पिटोल बडी एवं शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिटोल जिला झाबुआ में महिला सशक्तिकरण एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण झाबुआ श्रीमान राजेश कुमार गुप्ता के मार्गदर्शन एवं प्राधिकरण के सचिव/अपर जिला न्यायाधीश राजेश देवलिया के निर्देशन में किया गया। ग्राम पंचायत पिटोल बडी में उपस्थित ग्रामीजनों को संबोधित करते हुये श्री देवलिया ने कहा कि वृद्धजन हमारे समाज के अभूषण है

उनका सम्मान एवं सुरक्षा हमारा कर्तव्य है एवं संबोधित करते हुये बताया कि संविधान प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने के लिए कर्तव्यों का निर्वाहन आवश्यक है। क्योंकि एक व्यक्ति का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति का कर्तव्य होता है और अधिकार और कर्तव्य एक-दूसरे के पूरक है। जागरूकता ही अधिकारों को प्राप्त करने की कुंजी है निःशुल्क विधिक सहायता, महिला अधिकार, मानव अधिकार, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण एवं बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाऐं तथा शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी। नालसा (वरिष्ठ नागरिकों के लिए विधिक सेवा) योजना-2016 अंतर्गत ग्राम पिटोल बडी के 7 वरिष्ठ नागरिकों श्री सुखनन्दन जी, श्री जगदीश जी नागर, श्री मडिया काका, श्री मांगीलाल जी, श्री हकला भाई गुण्डिया, श्री मंगा काका, श्री सदाशिव नागर को शॉल, श्रीफल और पुष्पहार पहनाकर सम्मान किया गया। पंचायत में उपस्थित ग्रामीणजनों को उप निरीक्षक पुलिस यातायात झाबुआ श्री रामसिंह मालवीय ने 32वां सड़क सुरक्षा माह अभियान के अंतर्गत यातायात के बारे में विस्तार से जानकारी दी। ग्राम पंचायत पिटोल बडी सरपंच श्री काना गुण्डिया ने आभार व्यक्त किया।

शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिविर में जिला शिक्षा अधिकारी श्री ज्ञानेन्द्र ओझा ने उपस्थित छात्राओं को शिक्षा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। नेहरू युवा केन्द्र झाबुआ सुश्री प्रीति ने छात्राओं को प्रत्येक क्षेत्र में आगे आने के लिये प्रेरित किया। सहायक पुलिस उपनिरीक्षक श्रीमती अनिता तोमर ने छात्राओं को महिला सुरक्षा के संबंध में चलाये जा रहे जागरूकता एवं सहायता योजना की विस्तार से जानकारी देकर छात्राओं को किसी परेशानी एवं प्रताड़ना के संबंध में हौसला बढ़ातें हुये अपराधों के विरूद्ध आवाज उठाने की समझाईस दी। शिविर में अधिवक्ता श्री हरीशचन्द्र खतेडिया ने भी स्कूली छात्राओं को भी संबोधित किया। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पिटोल

नालसा (नशा पीडितों को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 के अंतर्गत की गई अनूठी पहल

जिला प्राधिकरण श्योपुर द्वारा नालसा (नशा पीडितों को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 के अंतर्गत नशा मुक्ति हेतु एक अनूठी पहल प्रारंभ करते हुए ग्राम नारायणपुरा, जिला श्योपुर में निवासरत व्यक्तियों को नशा से उन्मुक्त कराये जाने हेतु दिनांक 22.01.2021 को विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नशा करने वाले व्यक्तियों को नशे के दुष्प्रभाव बताते हुए शपथ दिलाकर नशा छोडने के लिये प्रेरित किया। जिला प्राधिकरण श्योपुर के पी.एल.व्ही. की एक टीम एवं ग्राम पंचायत के सचिव के द्वारा नशा करने वाले लोगों को सायं 7 बजे इकट्ठा कर मंदिर लाया जा रहा है, तथा ग्राम के वरिष्ठ नागरिकों द्वारा श्री रामचरित मानस का पाठ सुनाया जायेगा ताकि वे लोग नशा करने की उस समयावधि में नशा न कर सकें। जिला प्राधिकरण श्योपुर द्वारा प्रारंभ की गई पहल निश्चित ही समाज के विकास में सहायक होकर प्रेरणादायक है। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को उनके जिले में उक्त कार्य को नालसा (नशा पीडितों को विधिक सेवाएं एवं नशा उन्मूलन के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 के अंतर्गत अभियान के रूप में प्रारंभ करने हेतु निर्देशित भी किया गया है।

ग्रामीणों को शपथ दिलाते हुए जिला प्राधिकरण के सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बुरहानपुर

जिला प्राधिकरण बुरहानपुर द्वारा दिनांक 04.02.2021 एवं दिनांक 09.02.2021 को नशा मुक्ति पर कार्यशाला एवं शिविर का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला में उपस्थिति प्रशिक्षार्थियों नशा के दुष्प्रभावों के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैतूल

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैतूल द्वारा विश्व केंसर दिवस 04 फरवरी 2021 के अवसर पर बाल संप्रेक्षण गृह, बैतूल में एक विधिक साक्षरता शिविर आयोजन किया गया। उक्त शिविर में सचखण्ड सेवा समिति, बैतूल द्वारा प्रदाय किये गए कैंसर बीमारी में लाभकारी औषधीय पौधा लक्ष्मी तरू को बाल संप्रेक्षण गृह, परिसर में लगाये गये। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैतूल के पैरालीगल वॉलेंटियर्स द्वारा उक्त पौधे को शहर के अलग–अलग क्षेत्र में लगाये गये है तथा पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा आस–पास के लोगों को इस पौधे की उपयोगिता भी समझायी जा रही है।

दिव्यांगता से सचलता की ओर

कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदान किए जाने हेतु विशेष शिविर का आयोजन

आयोजन दिनांक 10.02.2021 व 11.02.2021

स्थान– शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय झिंझरी जिला कटनी

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2019 में आयोजित किये गये 05 दिवसीय विशेष वृहद मेडिकल शिविर से प्रेरित होकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कटनी द्वारा जिला प्रशासन के समन्वय से दिव्यांग व्यक्तियों को कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 06.02.2021 से दिनांक 11.02.2021 तक 06 दिवसीय विशेष पंजीयन एवं परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर हेतु कटनी जिले के दिव्यांग व्यक्तियों को चिन्हित एवं पहचान किए जाने के संबंध में प्रशासन एवं रेडक्रास संस्था के सहयोग से व्यापक प्रयास किया गया।

उक्त 06 दिवसीय चिकित्सीय मूल्यांकन शिविर में लगभग 2966 व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है। इनके लिये माप एवं आवश्यकता अनुसार कृत्रिम अंग एवं अन्य उपकरण प्रदान किये जाने हेतु पुनः उन्हीं तहसीलों में लगभग एक माह पश्चात् (पुराने शिविर स्थल पर) शिविर का आयोजन किया जावेगा।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के प्रयास से मेडिकल कॉलेज जबलपुर में महावीर संस्थान जयपुर द्वारा निःशुल्क कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण प्रदान किए जाने हेतु स्थाई केन्द्र की स्थापना की गई है। अतः उपरोक्त शिविर के पश्चात् भी जिन दिव्यांगजनों का पंजीयन नहीं हो पाया है, वे सीधे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर की हेल्प लाइन नं. 15100 से संपर्क कर रजिस्ट्रेशन कराते हुए लाभ उठा सकते है। शिविर में सम्मिलित होने वाले छात्रों एवं आम नागरिकों को उनकी समस्या अनुसार अलग–अलग पंक्तियों में बिठाया गया, तत्पश्चात् अस्थि बाधित, दृष्टि बाधित, मानसिक बाधित, श्रवण बाधित व्यक्तियों के नाम दर्ज कर उनको लगाये जाने वाले कृत्रिम अंगों की माप की गयी।

शिविर के माध्यम से लाभांवित हुए व्यक्तिगण की जानकारी निम्नानुसार है :–

चिकित्सीय मूल्यांकन शिविर में उपस्थित छात्रों एवं आम नागरिकों का विवरण				
क.	दिव्यांगता का प्रकार	चिन्हित छात्रों की संख्या	चिन्हित आम नागरिकों की संख्या	कुल
1.	दृष्टि बाधित	348	254	602
2.	श्रवण बाधित	347	125	472
3.	मानसिक बाधित	455	201	656
4.	अस्थि बाधित	547	689	1236
कुल महायोग		**1697**	**1269**	**2966**

Legal Services to Disaster Victims under NALSA Scheme

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सीधी

जिला प्राधिकरण सीधी द्वारा दिनांक 16.02.2021 को सीधी की तहसील रामपुर नैकिन के ग्राम पटना शारदा में यात्री बस के नहर में गिरने की हुई दुर्घटना घटित हुई, जिसमें जिला प्राधिकरण के निर्देशन में अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति रामपुर नैकिन के अध्यक्ष द्वारा दुर्घटना में बचे हुई लोगों से स्वास्थ्य केन्द्र में संपर्क किया गया एवं स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन को जीवित एवं घायल व्यक्तियों की हर संभव सहायता करने के लिये निर्देशित किया गया। जिला सीधी तथा तहसील विधिक सेवा समिति चुरहट/मझौली/रामपुर नैकिन के पी.एल.व्ही. द्वारा अपने–अपने क्षेत्र के मृतक एवं घायल व्यक्तियों के परिवारों से संपर्क किया गया, उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी दी गई तथा जरूरतमंद परिवारों के राहत राशि फार्म भरवाये जाने में सहायता की गई।

Legal Services to Mentally ill and Mentally Disabled Person under NALSA Scheme

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायसेन

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन द्वारा दिनांक 17.02.2021 को जिज्ञासा समाज कल्याण पुर्नवास केन्द्र में **नालसा (मानसिक रूप से अस्वस्थ्य एवं निर्योग्य व्यक्तियों को विधिक सेवाऐ) योजना 2010** के अंतर्गत शिविर का आयोजन किया गया।

सचिव, जिला प्राधिकरण रायसेन द्वारा शिविर में बच्चों को मैत्रीपूर्ण व्यवहार के संबंध में तथा गुड टच एवं बेड टच के बारे में जानकारी दी, साथ ही साफ–सफाई से रहने एवं पढ़ाई व चित्रकला हेतु प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम के अंत मे सभी बच्चों को कोरोना महामारी से बचाव हेतु मास्क लगाने एवं साबुन से हाथ धोने एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किये जाने हेतु कहा गया। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन द्वारा जिज्ञासा समाज कल्याण समिति की साफ–सफाई एवं अन्य सुविधाओं का अवलोकन किया गया।

Legal Services to Labour under NALSA Scheme

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देवास

जिला प्राधिकरण देवास द्वारा दिनाँक 18.02.2021 को श्रम विभाग देवास के सहयोग से आयशर कंपनी औद्योगिक क्षेत्र देवास में विशेष साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस नियम 1991, इन्वार्यमेंट रिलीफ फण्ड स्कीम 2008, श्रम कानूनों, श्रमिकों के अधिकारों एवं संगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु लागू श्रम विधियों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

एक अनूठी पहल - थर्ड जेंडर को मिली पहचान

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम

जिला प्राधिकरण रतलाम द्वारा दिनांक 08.02.2021 को थर्ड जेंडर के कल्याण हेतु कार्यालय जिला प्राधिकरण में एक बैठक सह शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष द्वारा उनकी आधार कार्ड संबंधी समस्या एवं उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु शासन द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई एवं साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रतलाम द्वारा पैरालीगल वालेंटियर्स के रूप में कार्य करने हेतु थर्ड जेंडर को आवेदन भरने हेतु सुझाव दिया गया। थर्ड जेण्डर के पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड तथा मतदाता कार्ड बनाने हेतु जिला प्राधिकरण पैरालीगल वालेंटियर्स को नियुक्त किया गया।

NALSA (Victims of Trafficking and Commercial Sexual Exploitation) Scheme, 2015

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच

जिला प्राधिकरण नीमच द्वारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की तस्करी और वाणिज्यिक यौन शौषण पीड़ितों के लिये विधिक सेवायें, योजना 2015 के अंतर्गत बांछड़ा समुदाय की बालिकाओं एवं महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में स्थान दिलाने, उनके संरक्षण, संवर्धन एवं सशक्तिकरण हेतु एनजीओ–प्रोजेक्ट मिशन मुक्ति के संयुक्त तत्वाधान में कार्यशाला का आयोजन किया गया।

उल्लेखनीय है कि मालवा अंचल के नीमच, मंदसौर और रतलाम जिलों में निवास करने वाले बांछड़ा समुदाय में अपने घर की बहन बेटी से अनैतिक देह व्यापार कराने की परम्परा है। इस बदनुमा दाग को मिटाने की सरकार, शासन, प्रशासन द्वारा तमाम कोशिशें की जा रही हैं किन्तु कुप्रथा, परम्परा, शौक या मजबूरी जैसे कारणों से देह व्यापार के दलदल से निकलने में सफलता हासिल नहीं हुई है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा नालसा की उपरोक्त योजना अंतर्गत बांछड़ा समाज के युवाओं में हिम्मत पैदा करने और उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए यह कार्यशाला आयोजित की गई। उक्त कार्यशाला में पिछले दो बरसों में पुलिस एवं प्रशासन द्वारा देह व्यापार के दलदल में धंसने से बचाई गयी अथवा रेस्क्यू की गई अवयस्क बालिकाओं एवं उनके संरक्षकों को शामिल किया गया।

बांछड़ा समुदाय के बीच सेवा कार्यो के और बदलाव के लिए प्रयासरत एनजीओ मिशन मुक्ति कार्यक्रम के जिला समन्वयक ने समुदाय की व्यावहारिक कठिनाईओं की चर्चा की और रेस्क्यु की गई बालिकाओं को किसी भी सरकारी या प्रायवेट स्कुल में पढाई एवं फीस का सम्पूर्ण खर्च एनजीओ द्वारा वहन किये जाने की घोषणा की।

कार्यक्रम में उपस्थित इस वर्ग के प्रभावित परिवारों के सदस्यों, मुक्त हुई युवतियों, संरक्षित की गई बालिकाओं, समुदाय के लिए काम करने वाले प्रतिनिधियों, देह व्यापार से परे अच्छी शिक्षा लेकर विभिन्न सेवा से जुड़ी महिला वर्ग प्रतिभाओं से न केवल परिचय लिया गया बल्कि उन्हें अपनी बात रखने का अवसर भी दिया गया। कुछ बालिकाओं ने प्रतियोगी परिक्षाओं

तो कुछ युवतिओं ने पुलिस में भर्ती होकर देश सेवा करने के सपने बताये। जिला प्राधिकरण द्वारा कार्यक्रम में समुदाय की प्रतिभाओं को प्रमाण–पत्र देकर सम्मानित किया गया।

protecting the principles of Gandhi said. the main tunnel itself. sistance and transportation in led blast to drain it. P7

SECOND CHANCE

Prostitution to mainstream, with inspiration from judges

EXPRESS NEWS SERVICE @ Bhopal

STEPPING out of courtroom, judges in Madhya Pradesh's Neemuch district donned a new hat — that of counsellors — to help the mainstreaming of teenage tribal girls rescued from prostitution.

Pushed into the trade by their own parents, 15 Banchhada tribe girls rescued by social activists and police in 2019 and 2020 had interaction with judges led by District and Session Judge Hridesh during a workshop in Neemuch. Aged between 14 and 17 years, these girls hailed from Neemuch, Mandsaur and Ratlam.

At the workshop organised jointly on Saturday by Neemuch District Legal Services Authority and NGO Project Mission Mukti, these girls were encouraged to take inspiration from the success attained by young women of their own tribe. The parents of the rescued girls were also present.

Flanking them were 25 young tribal women who, after being rescued and rehabilitated, have attained success in diverse professions.

"You and your parents have to decide whether to plunge again into earning easy and quick money or replicate the feats of other girls of your own community who have since taken a different route to make careers in diverse fields, spanning from teaching to nursing and from Aanganwadi workers to police constables," Judge Hridesh told the teenagers.

The Banchhada tribe has for generations pushed its minor girls into highway and roadside prostitution. It has been forcing girls trafficked from other states into prostitution rackets operated from *deras* (makeshift shelters) and illegal dhabas on MP-Rajasthan highway.

"It's the first time that judges have taken time out of busy schedule for helping the girls rescued from prostitution," said advocate Akash Chouhan of the Project Mission Mukti.

Empowering Women through Legal Awareness Camp

DLSA BURHANPUR

DLSA HARDA

DLSA DEWAS

News...

विधिक साक्षरता कार्यशाला में बताए महिलाओं को अधिकार

[illegible]

वन स्टाप सेंटर में विधिक साक्षरता कार्यशाला आयोजित

पब्लिक लुक संवाददाता। बुरहानपुर

मध्य प्रदेश राज्य सेवा विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देषानुसार एवं अध्यक्ष/जिला एवं सत्र न्यायाधीष श्री वीरेन्द्र एस. पाटीदार के मार्गदर्षन में सचिव/ए०डी०जे० श्री नरेंद्र पटेल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुरहानपुर द्वारा महिलाओं से संबंधित अधिकारों विषय पर विधिक कार्यषाला का आयोजन वन स्टाप सेंटर, सखी केन्द्र जिला चिकित्सालय बुरहानपुर में किया गया।

विधिक कार्यशाला में वन स्टाप सेंटर प्रषासक श्रीमती रेखा भोंडवे, आयुष्मान योजना जिला समन्वयक स्वास्थ्य विभाग श्री संजय तिवारी, काउंसलर श्रीमती बेला तरकस, श्रीमती रजनी गट्टानी, श्रीमती मेघा भिड़े, श्रीमती आषा दलाल, पैरालीगल वॉलेंटियर्स निषा कुवादे, केस वर्कर नितिन पानपाटील, आरीफ तड़वी, पिंकी अहीरे, शारदा मोरे, केयर टेकर ज्योति वानखेड़े, आषा पाटील पीड़ित पक्षकार व आमजन के साथ-साथ जिला प्राधिकरण जिला न्यायालय के कर्मचारी लोकेष स्वामी, जयकिषोर शुक्ला उपस्थित रहें।

उक्त विधिक कार्यषाला में श्रीमती रेखा भोंडवे द्वारा महिलाओं को उनके अधिकारों एवं महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित महिलाओं की काउंसलिंग की जाती है, आश्रय, पुलिस, चिकित्सा, भोजन, आपतकालीन एवं गैर आपतकालीन सुविधा पीड़ित महिलाओं को दी जाती है। महिलाओं को पूर्णरूप से सुरक्षा प्रदान की जाती है। अपर जिला न्यायाधीष श्री नरेन्द्र पटेल ने म०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देते हुए महिलाओं को उनके अधिकार व कानूनी समक्षता के बारे में बताया तथा निःषुल्क विधिक सहायता की जानकारी दी। श्री पटेल ने घरेलू हिंसा, मध्यस्थता योजना, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, पीड़ित प्रतिकर योजना की विस्तृत जानकारी महिलाओं को दी, महिलाओं द्वारा कार्यषाला में प्रष्न पूछे गये।

...नवाड़ी केन्द्र क्रं. 56 वार्ड-28 में हुआ विधिक साक्षरता ...िर का आयोजन

...जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला ... सेवा प्राधिकरण हरदा श्रीमती शशीकला चंद्रा ...दर्शन में जिला विधिक सहायता अधिकारी ...सिंह द्वारा नालसा (तस्करी और वाण्यिक यौन ...पीड़ितो के लिए) विधिक साक्षरता शिविर का ...न आंगनवाड़ी केन्द्र क्रं. 56 वार्ड क्रमांक 28 में ...या। शिविर में जिला विधिक सहायता ...री द्वारा उपस्थित महिलाओं एवं नागरिकों को ...हिंसा, 125 भरण-पोषण, महिला एवं बच्चों से ...ा अपराध, मोटर वाहन अधिनियम संबंधित ...रों, दहेज प्रथा, म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर ..., अधिकारों के संबंध में विस्तार से जानकारी ...की गई। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ...चालित निःशुल्क विधिक सहायता एवं सलाह ...ओं के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की ...िविर में मध्यस्थता योजना एवं 10 अप्रैल 2021 ...योजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के ...में भी जानकारी प्रदान की गई। शिविर में ...ाड़ी कार्यकर्ता सुधा उपाध्याय, पीएलव्ही शिखा ...ा एवं अशोक सेजकर उपस्थित रहे।

घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा की दी जानकारी

● आंगनवाड़ी केन्द्र में हुआ विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

अनोखा तीर, हरदा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेव... प्राधिकरण श्रीमती शशीकला चंद्रा के मार्गदर्शन एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी अभय सिंह द्वारा बुधवार को विधिक साक्षरता शिविर का आयोज... वार्ड क्र. 28 के आंगनवाड़ी केन्द्र क्र 56 में किया गया। शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा उपस्थित महिलाओं एवं नागरिकों को घरेलू...

हिंसा, 125 भरण-पोषण, महिला एवं बच्चों से संबंधित अपराध, मोटर वाह... अधिनियम संबंधित अधिकारों, दहेज प्रथा, म.प्र. अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना, अधिकारों के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित नि :शुल्क विधिक सहायता एव... सलाह योजनाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। शिविर मे... मध्यस्थता योजना एवं 10 अप्रैल 2021 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत के संबंध में भी जानकारी प्रदान की गई। शिविर में आंगनवा... कार्यकर्ता सुधा उपाध्याय, पीएलव्ही शिखा जनोरिया एवं अशोक सेजकर उपस्थित रहे।

वन स्टाप सेंटर में विधिक साक्षरता कार्यशाला आयोजित

यूथ अपडेट, बुरहानपुर

मध्य प्रदेष राज्य सेवा विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देषानुसार एवं अध्यक्ष/जिला एवं सत्र न्यायाधीष श्री वीरेन्द्र एस. पाटीदार के मार्गदर्षन में सचिव/ए0डी0जे0 श्री नरेंद्र पटेल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बुरहानपुर द्वारा महिलाओं से संबंधित अधिकारों विषय पर विधिक कार्यषाला का आयोजन वन स्टाप सेंटर, सखी केन्द्र जिला चिकित्सालय बुरहानपुर में किया गया। विधिक कार्यषाला में वन स्टाप सेंटर प्रषासक श्रीमती रेखा भोंडवे, आयुष्मान योजना जिला समन्वयक स्वास्थ्य विभाग श्री संजय तिवारी, काउंसलर श्रीमती बेला तरकस, श्रीमती रजनी गट्टानी, श्रीमती मेघा भिड़े, श्रीमती आषा दलाल, पैरालीगल वॉलेंटियर्स निषा कुवादे, केस वर्कर नितिन पानपाटील, आरीफ तड़वी, पिंकी अहीरे, शारदा मोरे, केयर टेकर ज्योति वानखेड़े, आषा पाटील पीड़ित पक्षकार व आमजन के साथ-साथ जिला प्राधिकरण जिला न्यायालय के कर्मचारी लोकेष स्वामी, जयकिषोर शुक्ला उपस्थित रहें। उक्त विधिक कार्यषाला में श्रीमती रेखा भोंडवे द्वारा महिलाओं को उनके अधिकारों एवं महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित महिलाओं की काउंसलिंग की जाती है, आश्रय, पुलिस, चिकित्सा, भोजन, आपतकालीन एवं गैर आपतकालीन सुविधा पीड़ित महिलाओं को दी जाती है। महिलाओं को पूर्णरूप से सुरक्षा प्रदान की जाती है। अपर जिला न्यायाधीष श्री नरेन्द्र पटेल ने म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देते हुए महिलाओं को उनके अधिकार व कानूनी समक्षता के बारे में बताया तथा निःषुल्क विधिक सहायता की जानकारी दी।

वन स्टाप सेंटर में विधिक साक्षरता कार्यशाला का आयोजन हुआ

भास्कर संवाददाता | बुरहानपुर

जिला अस्पताल स्थित वन स्टॉप सेंटर परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने महिला संबंधी विषय पर कार्यशाला कराई गई। अध्यक्ष व जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र एस पाटीदार के मार्गदर्शन में सचिव व एडीजे नरेंद्र पटेल ने महिलाओं को संबोधित किया। इस दौरान वन स्टाप सेंटर प्रशासक रेखा भोंडवे, संजय तिवारी, बेला तरकस, रजनी गट्टानी, मेघा भिड़े, आशा दलाल निशा कुवादे, नितिन पान पाटील सहित अन्य मौजूद थे।

मध्यप्रदेश राज्य प्राधिकरण ने प्रत्येक पात्र को आयुष्मान कार्ड दिलवाने का बीड़ा उठाया

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समाज के हर पात्र व्यक्ति तक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं के लाभ को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नालसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी कियान्वयन के लिए विधिक सेवाएं) योजना, 2015 के अंतर्गत आयुष्मान योजना के प्रभावी कियान्वयन के संबंध में दिनांक 15.02.2020 को समस्त सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिले के स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के अधिकारी श्री सतीश कुमार, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, सपना एम. लोवंशी, एक्सिक्यूटिव ऑफीसर डॉ. अंशुल एवं अन्य अधिकारीगण के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग की गई।

उक्त बैठक में मुख्य रूप से इस तथ्य पर चर्चा की गई कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड निर्माण कार्य हेतु विशेष जागरूकता एवं सहयोग अभियान प्रारंभ करेगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों तक योजना का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से शिविर, जागरूकता रैली, बैनर आदि माध्यमों से व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावेगा।

उक्त अभियान में विधिक सेवा संस्थाओं के अंतर्गत कार्यरत पैरालीगल वालेंटियर्स एवं संबद्ध गैर शासकीय संगठनों का भी सहयोग लिया जावेगा। शीघ्र ही इस अभियान की शुरूआत राज्य स्तर पर की जावेगी।

आयुष्मान भारत योजना के संबंध में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने वीडियों कांफ्रेंसिंग की बैठक

गुना। आयुष्मान भारत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर की सदस्य सचिव गिरिबाला सिंह द्वारा नालसा द्वारा स्वास्थ्य विभाग व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों की बैठक वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ली। बैठक में श्रीमती सिंह द्वारा समस्त अधिकारियों को आयुष्मान योजना का लाभ समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए संगठित प्रयास करने हेतु निर्देशित किया। बैठक में आयुष्मान भारत निरामयम मप्र योजना को पावर पॉइन्ट प्रजेंटेशन के माध्यम से विस्तार से समझाया गया। बैठक में गुना से प्राधिकरण सचिव एके मिश्र, सिविल सर्जन डॉ. हर्षवर्धन जैन, जिला विधिक सहायता अधिकारी दीपक शर्मा, आयुष्मान योजना से जुडे सतेन्द्र रघुवंशी, कृष्णेन्द्र मिश्रा, सतेन्द्र शर्मा आदि उपस्थित रहे। जबकि जबलपुर से सदस्य सचिव गिरिबाला सिंह, उप सचिव डी.के. सिंह, अरविन्द श्रीवास्तव जिला विधिक सहायता अधिकारी जीशान खान, जितेन्द्र धुर्वे एवं भोपाल से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी तथा सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिव व जिला विधिक सहायता अधिकारी ऑनलाईन उपस्थित रहे।

आयुष्मान योजना का लाभ समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाएं

भास्कर संवाददाता | गुना

आयुष्मान भारत योजना के संबंध में मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक आयोजित की गई। इसमें आयुष्मान भारत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर की सदस्य सचिव गिरिबाला सिंह द्वारा नालसा गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाएं योजना, 2015 के तहत स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से स्वास्थ्य विभाग व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकारियों की बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से ली।

उक्त बैठक में मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की सदस्य सचिव गिरिबाला सिंह द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुडे सभी अधिकारियों को आयुष्मान योजना का लाभ समाज के अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए संगठित प्रयास करने के लिए निर्देशित किया। बैठक में आयुष्मान भारत च्निरामयमच्् मप्र योजना को पावर पाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से विस्तार से समझाया गया।

बैठक में जिला गुना से सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एके मिश्र, सिविल सर्जन डॉ. हर्ष वर्धन जैन, जिला विधिक सहायता अधिकारी दीपक शर्मा, आयुष्मान योजना से जुडे सतेंद्र रघुवंशी, कृष्णेंद्र मिश्रा, सतेंद्र शर्मा आदि उपस्थित रहें।

बैठक में मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर से सदस्य सचिव गिरिबाला सिंह, उप सचिव डीके सिंह, अरविंद्र श्रीवास्तव जिला विधिक सहायता अधिकारी जीशान खान, जितेन्द्र धुर्वे एवं भोपाल से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी तथा सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिव व जिला विधिक सहायता अधिकारी ऑनलाइन उपस्थित रहें।

Reviving Litigation Free Village Scheme 2000

The Litigation Free Village Scheme 2000 of Madhya Pradesh is now being reinvigorated and on 17.10.2020, 05 villages were inaugurated by the Hon'ble Chief Justice of India through online mode.

Through fruitful action in this direction, presently 152 village have been identified as Litigation Free across the State of Madhya Pradesh and in each of such villages, a Seva Dal has been constituted who will be responsible for effective amicable resolutions at the inception. The concerned DLSA has the responsibility of monitoring of each scheme while the SLSA issue the policy guidelines and monitoring at the State level. The villages so identified will now have legal aid clinic which will serve as hub for extending similar facilities to around 40 surrounding villages. It will be manned by 2 PLVs who will work in coordination with the Seva Dal, the District Administration has also reached out to enhance the existing facilities in the villages so that Gandhian ideal of Swaraj becomes a reality.

DLSA NARSINGHPUR

Mediation Awareness Programs were organized under Vivad Viheen Gram Yojna at Gram Panchayat Khiriya & Gursi for making a litigation free village **Awariya & Gokla** on 08.02.2021 & 16.02.2021 respectively. During Mediation Awareness Camp at Khriya 07 grievances were resolved by the local administration during the camp & at Gursi Mediation Awareness camp 04 grievances of villagers were received, all were of revenue department, therefore all were forwarded to the Officers present from revenue department during the camp. Response from revenue department is awaited.

In both the Mediation Awareness Program Secretary DLSA, DLAO, Naib Tehsildar Kareli & Members of Vidhik Sewa Dal were present at Gram Panchayats. In both the programs Legal Aid Clinic was established and PLVs were appointed for making the village litigation free. A detailed report of proposed Vivad Viheen Gram Awariya is already been sent to MPSLSA Jabalpur for necessary consideration.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शाजापुर

तहसील विधिक सेवा समिति शुजालपुर

तहसील विधिक सेवा समिति शुजालपुर द्वारा **''विवाद विहीन ग्राम योजना 2000''** का क्रियान्वयन करते हुए माह तहसील शुजालपुर से 12 कि.मी. दूर स्थित **ग्राम भीमपुरा** को विवाद विहीन ग्राम योजना के लिए चयनित किया गया, तत्पश्चात् उक्त ग्राम के लिए स्थानीय राजस्व विभाग के सहयोग से सेवा दल का गठन किया गया तथा सेवा दल के सदस्यों से वेबिनार के माध्यम से तथा भौतिक बैठकों के माध्यम से ग्राम में लंबित विवादों की जानकारी ली गई। ग्राम में वरिष्ठ ग्रामीणजन, बुजुर्गों एवं पंचों द्वारा समय–समय पर सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठकें आयोजित की जाती है तथा किसी के मध्य कोई भी विवाद होने पर पुलिस एवं न्यायालय में जाने से पूर्व ही उसका निराकरण आपसी सहमति से राजीनामा से करवा दिया जाता है। अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति द्वारा ग्रामवासियों को नशा न करने संकल्प दिलाया गया।

शुजालपुर.कालापीपल.मक्सी

कोर्ट की जगह मामले राजीनामा से निपटे तो विवाद मुक्त समाज का निर्माण संभव- वेदी

भीमपुरा गांव में विवाद विहीन ग्राम योजना अंतर्गत विधिक जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन

भास्कर संवाददाता | शुजालपुर

कोर्ट की जगह मामले राजीनामा से निपटे तो विवाद मुक्त समाज का निर्माण संभव है। यह बातें न्यायाधीश रूपम वेदी ने शनिवार को भीमपुरा गांव में विवाद विहीन ग्राम योजना अंतर्गत आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में कही।

शिविर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपम वेदी ने उपस्थित ग्रामीणजन, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं विवाद विहीन सेवा दल के सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि अक्टूबर 2020 में इस ग्राम का चयन विवाद विहीन ग्राम योजना के लिए किया गया और यह ग्राम विवाद विहीन होने से ग्रामीण बधाई के पात्र हैं। न्यायाधीश ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय भी यही चाहता है कि कोई भी विवाद न्यायालयों के समक्ष आने से पूर्व मध्यस्थता के जरिए राजीनामा से निपट जाए, जिससे पक्षकार विवादों से बचे रहेंगे व न्यायालयों का समय भी बचेगा। इस दौरान एसडीएम प्रकाश कस्बे एवं तहसीलदार राकेश खजूरिया ने भी ग्रामीणजन को संबोधित किया।

भीमपुरा गांव में विवाद विहीन ग्राम योजना अंतर्गत आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में संबोधित करते अतिथि व उपस्थितजन।

नशा मुक्त करवाने में सहयोग देने का संकल्प दिलाया

विधिक सेवा से राजकुमार थावानी ने नशा मुक्त करवाने में सहयोग देने का संकल्प दिलाया गया। कार्यक्रम में नायब तहसीलदार पंकज पवैया, पटवारी रामसिंह परमार, पंचायत सचिव हेमंत राठौड़, सरपंच रघुवीर राजपूत, स्वयंसेवी कंवरलाल, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता फूलवती, खूबसिंह कुशवाहा उपस्थित थे। संचालन आत्माराम मीणा एवं प्रबंधन अशोक मीणा ने किया।

DLSA DAMOH

Legal Aid Clinic has established on 10.02.2021 in Gram Panchayat Hardua Khurd to solve the problems of villagers and provide legal information. According to the scheme of the state authority, Hardua Khurd, a village panchayat, has also been declared as a litigation-free village. In the said camp, Secretary informed about Family Dispute Resolution Center, Pocso Act, rights of tribals. District Legal Aid Officer apprised on Mediation, Dowry Prohibition Act, Domestic Violence, Rights of Women and Children. Sarpanch, Secretary, forest guards and villagers were present in the said camp.

DLSA JHABUA

DLSA SEONI

Media Coverage……

विधिक साक्षरता शिविर आयोजित कर तीनों ग्रामों को विवाद विहीन बनाने ग्रामीणों को दी समझाइश

माधौपुर, ढौंगाचक व पाली को विवाद हीन ग्राम योजना में जोड़ने का तय किया लक्ष्य

भास्कर संवाददाता | गुना

ग्राम माधौपुर चक, ढौंगाचक एवं पाली में नालसा आदिवासियों के अधिकारों का आदिवासियों के संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाएं, योजना 2015 के तहत विधिक साक्षरता शिविरों को आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन जिला न्यायधीश अध्यक्ष राजेश कुमार कोष्टा के निर्देशन में किया गया।

विधिक साक्षरता शिविर में ग्रामीणों को संबोधित करते अपर जिला न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एके मिश्र।

विधिक साक्षरता शिविरों में अपर जिला न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एके मिश्र व जिला विधिक सहायता अधिकारी दीपक शर्मा द्वारा ग्रामीणों को निःशुल्क विधिक सहायता, आदिवासियों के अधिकार, संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार व मौलिक कर्तव्य, मोटर व्हीकल एक्ट, शिक्षा का अधिकार आदि विषयों पर जानकारी प्रदान की। तीनों ग्रामों को मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विवाद विहीन ग्राम योजना, 2000 से जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि रमेश डाबर, ग्राम पंचायत डुंगासरा के सरपंच प्रतिनिधि मुनेश धाकड़, सचिव सुरेश धाकड़, सहायक उपनिरीक्षक कृपाण सिंह यादव, रोजगार सहायता अशोक शिवहरे, प्रधान अध्यापक मांगीलाल कुशवाह, शांतिलाल यादव, पीएलवी हेमराज बैरागी सहित ग्राम माधौपुरचक, ढौंगाचक एवं पाली के ग्रामीणजन, शिक्षक उपस्थित रहे।

बनेंगा विवाद विहीन ग्राम : विवाद विहीन ग्राम योजना, 2000 में चयन किए जाने पर प्रक्रिया इन तीनों ग्रामों में निवास कर रहे व्यक्तियों के मध्य कोई विवाद न हो तथा यदि हो तो विवाद को आपसी सूझ-बूझ, सुझाव व समझौते द्वारा निराकृत कराए जाने का प्रयास किया जाएगा। जिसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना द्वारा दल गठित किया जाएगा। जिसमें गांव के गुरूजी, सरपंच, पंच, पटवारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, वनरक्षक, ग्राम स्तरीय अधिकारी व कर्मचारी, संबंधित ग्रामों के थानेदार, तहसीलदार या नायब तहसीलदार, सचिव पंचायत, ग्राम संरकार के प्रतिनिधि, ग्राम के दो प्रतिष्ठित स्वंयसेवी व जिला विधि सहायता अधिकारी सदस्य होंगें। इनके द्वारा उक्त विवादों का निराकरण कराए जाने का प्रयास कराया जाएगा।

विवाद-विहीन ग्राम योजना से जुड़ेगा ग्राम माधोपुर चक, दोंगाचक व पाली, विधिक साक्षरता शिविर लगे

जागरण, गुना। जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजेश कुमार कोष्टा के निर्देश पर एक ही दिन में ग्राम माधौपुरचक, ढौंगाचक एवं पाली में नालसा आदिवासियों के अधिकारों का (आदिवासियों के संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाएं), योजना 2015 के अंतर्गत विधिक साक्षरता शिविरों को आयोजन किया गया। यह तीनों गांव अब विवाद विहीन ग्राम योजना से जुड़ेगे।

विधिक साक्षरता शिविरों में अपर जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एके मिश्र व जिला विधिक सहायता अधिकारी दीपक शर्मा द्वारा ग्रामीणों को निःशुल्क विधिक सहायता, आदिवासियों के अधिकार, संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार व मौलिक कर्तव्य, मोटर व्हीकल एक्ट, शिक्षा का अधिकार आदि विषयों पर जानकारी प्रदान की गई। साथ ही उपरोक्त तीनों ग्रामों को मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विवाद विहीन ग्राम योजना, 2000 से जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि रमेश डाबर, ग्राम पंचायत डुंगासरा के सरपंच प्रतिनिधि मुनेश धाकड़, सचिव सुरेश धाकड़, सहायक उपनिरीक्षक कृपाण सिंह यादव, रोजगार सहायता अधिकारी अशोक शिवहरे, प्रधान अध्यापक मांगीलाल कुशवाह, शांतिलाल यादव, पीएलव्ही हेमराज वैरागी सहित ग्राम माधौपुरचक, ढौंगाचक एवं पाली के ग्रामीणजन, शिक्षक आदि उपस्थित रहे। उन्हें इस मौके पर जरूरी कानूनी जानकारियां दी गई।

थाने नहीं जाएंगे तीन गांव के लोग, गांव में ही सुलझाएंगे मामले

माधौपुर चक, ढौंगाचक एवं पाली को विवाद विहीन ग्राम योजना से जोड़ने का लक्ष्य

रिपोर्टर ● मणिधारी टाइम्स, गुनी

जिले के तीन गांव ऐसे होंगे, जो आने वाले समय में थाने या कोर्ट कचेरी के चक्कर नहीं लगाएंगे। बमोरी क्षेत्र के माधौपुर चक, ढौंगाचक और पाली गांव को विवाद विहीन ग्राम योजना से जोड़ने का लक्ष्य लिया है। इसके लिए बुधवार को विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन भी किया। दरअसल, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष आरके कोष्टा के निर्देश पर एक ही दिन में ग्राम माधौपुरचक, ढौंगाचक एवं पाली में आदिवासियों के अधिकारों का (आदिवासियों के संरक्षण और प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2015 के अंतर्गत विधिक साक्षरता शिविरों को आयोजन किया गया। इन षिविरों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एके मिश्र व जिला विधिक सहायता अधिकारी दीपक शर्मा द्वारा ग्रामीणों को निशुल्क विधिक सहायता, आदिवासियों के अधिकार, संविधान

द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार व मौलिक कर्तव्य, मोटर व्हीकल एक्ट, शिक्षा का अधिकार आदि विषयों पर जानकारी दी। मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित विवाद विहीन ग्राम योजना 2000 से जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया। इस दौरान रमेश डाबर, मुनेश धाकड़, सुरेश धाकड़, कृपाण सिंह यादव, अशोक शिवहरे, मांगीलाल कुशवाह, शॉंतिलाल यादव, हेमराज बैरागी आदि उपस्थित रहें।

ये है विवाद विहीन ग्राम योजना 2020

इन तीनों गांवों में निवास कर रहे व्यक्तियों के मध्य कोई विवाद न हो तथा यदि हो तो विवाद को आपसी सूझ-बूझ, सुझाव व समझौते द्वारा निराकृत कराए जाने का प्रयास जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा गठित किए जाने वाले विधिक स्वयं सेवी दल द्वारा किया जाएगा। जिसमें गॉंव के गुरूजी, सरपंच, पंच, पटवारी, आगनबाड़ी कार्यकर्ता, वनरक्षक, ग्राम स्तरीय अधिकारी व कर्मचारी, संबंधित ग्रामों के थानेदार, तहसीलदार या नायब तहसीलदार, सचिव पंचायत, ग्राम संरकार के प्रतिनिधि, ग्राम के दो प्रतिष्ठित स्वंयसेवी व जिला विधि सहायता अधिकारी सदस्य होंगें। इनके द्वारा उक्त विवादों का निराकरण कराए जाने का प्रयास कराया जाएगा।

विधिक सहायता प्रकरणों की कॉज लिस्ट

समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा विधिक सहायता प्रकरणों के संबंध में कॉज लिस्ट प्रतिदिन तैयार की जाकर सूचना पटल पर चस्पा की जाती है, ताकि विधिक सेवा से संबंधित अधिवक्तागण एवं पक्षकारगण उनके प्रकरण की वस्तुस्थिति से अवगत हो सकें।

Legal Aid Cause List, Indore Dated - 02.03.2021

S. No.	Name of the beneficiary	Case No.	Section	Court	Legal aid Counsel	DOH	Present Stage	NDOH
1	सुनील	504 /19	307,294,506 B भादवि 25 आर्म्स एक्ट	Shri Ashutosh Shukla	श्री श्यामलाल यादव	02-03-2021	On Evidence	
2	जयेश	2649/20	49A, 34 आबकारी अधि०	Shri Rakesh Kumar Patidar	श्रीमती शैली खत्री	02-03-2021	On Evidence	
3	उजमा फातिमा	MJCR/3677/2021	घरेलु हिंसा अधिनियम २००५	Sushri Anupriya P	श्री प्रभाष कुमार जैन	02-03-2021	report	

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैतूल
(निःशुल्क विधिक सहायता के प्रकरण)
Cause List - 02/03/2021

क्र०	नाम	विरूद्ध	अ०क्र०	न्या०प्र०क्र०	धारा	न्यायालय	अधिवक्ता	कार्यावाही विवरण
1	श्री गोकुल उईके पिता रामदास उईके निवासी जिला होशंगाबाद हाल नि० अर्जुन नगर बैतूल	शासन	4/20	4/20	457, 380 आईपीसी०	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बैतूल	**श्री पंजाबराव पंवार**	साक्ष्य के लिये
2	श्री राजा उर्फ किशोर प्रजापति पिता– तारन प्रजापति	शासन	393		363,323,376 आईपीसी०	श्री अपर सत्र न्यायालय बैतूल	**श्री राकेश पटेल**	साक्ष्य के लिये
3	श्री वासु उर्फ वस्तुलाल पिता ब्रज गोंड निवासी सिमोरी थाना झल्लार	शासन	144/2020	RCT 89/2020	457,380 भादवि०	मान० मंजूषा तेकाम न्यायिक मजि० प्रथम श्रेणी भैंसदेही	**श्री महेन्द्रगिरी**	आरोप तर्क
4	श्री आकाश उर्फ अक्कू पिता महेश बाघ नि० कृष्णपुरा जिला बैतूल	शासन	358/20	73/20	363,366,376 एन आईपीसी पाक्सो एक्ट	अपर जिला न्यायाधीश बैतूल	**श्री रविकांत सावरकर**	साक्ष्य के लिये

Training & Webinar

Training of panel advocates and PLVs through online and offline mode provided by District Legal Services Authorities

DLSA BURHANPUR

DLSA DEWAS

DLSA NEEMUCH

DLSA HOSHANGABAD

DLSA MANDLESHWAR

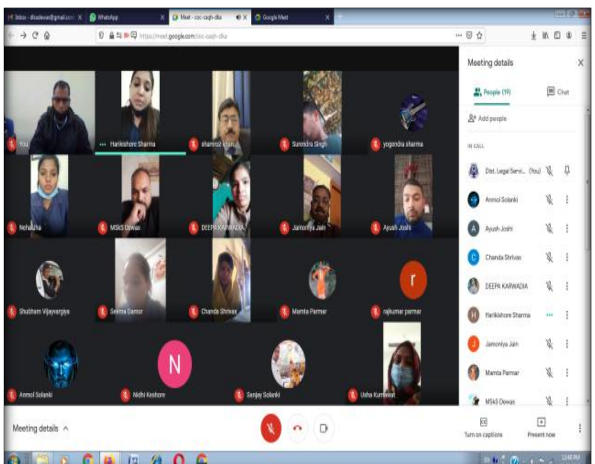

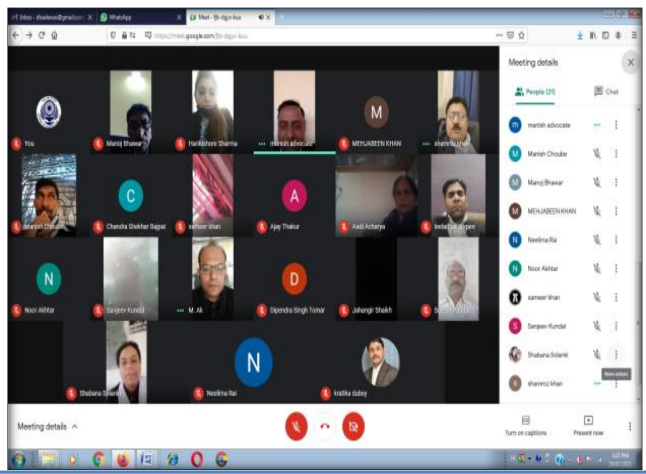

DLSA DEWAS

DLSA GUNA

Media News.....

पीएलव्ही का एक दिवसीय ऑनलाईन मासिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

गुना। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गुना द्वारा पैरालीगल वालेंटियर्स के लिए एक दिवसीय ऑनलाईन (वर्चुअल) मासिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अपर जिला जज एके मिश्र व जिला विधिक सहायता अधिकारी दीपक शर्मा द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। उनके द्वारा बताया गया कि मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्वास्थ्य विभाग के समन्वय से भारत शासन द्वारा संचालित आयुष्मान भारत योजना के संबंध में जागरूकता अभियान में पैरालीगल वॉलेंटियर्स की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने बताया कि पात्र हितग्राहियों तक योजना की पहुंच बनाने के लिये पैरालीगल वॉलेंटियर्स द्वारा क्या-क्या कार्य किये जा सकते हैं। इसके

अलावा पैरालीगल वॉलेंटियर्स को विवाद विहीन योजना एवं शासन द्वारा संचालित अन्य योजनाओं के बारे में भी जानकारी प्रदान की गई। इस कार्यक्रम में जिला विधिक सेवा

प्राधिकरण गुना सहित तहसी[ल] तहसील विधिक सेवा समि[ति] चांचौड़ा, राघौगढ़ एवं आरोन पैरालीगल वालेंटियर्स वीरसिंह याद[व] राजवीर यादव, विकास शर्मा, रि[...] शर्मा, वीरेन्द्रसिंह खींची, कृपाल[...] लोधा, गोलू बुनकर, धनपाल[...] बागड़ी आदि ऑनलाईन उपस्थित [...]

उपयंत्री जनपद शिक्षा केन्द्र राघौगढ़ का एक म[...] का मानदेय राजसात

गुना। शासकीय माध्यमिक विद्यालय मऊ विकास खण्ड राघौगढ़ में निर्माणाधीन बालक शौचालय निर्माण कार्य गुणवत्ताहीन होने की शिकायत [...] चलते उपयंत्री जनपद शिक्षा केन्द्र

प्राधिकरण : पैरालीगल वालिंटियर्स को दिया ऑनलाइन प्रशिक्षण

मंडलेश्वर | जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजय प्रकाश मिश्र के मार्गदर्शन में गुरुवार को एडीआर सेंटर में पैरालीगल वालिंटियर्स को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया। इसमें जिला न्यायालय मंडलेश्वर, तहसील न्यायालय कसरावद, महेश्वर, भीकनगांव, खरगोन व सनावद के वालिंटियर्स शामिल थे। कार्यक्रम में अपर जिला न्यायाधीश व सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भारतसिंह रावत ने पैरालीगल वालिंटियर्स को मीडिएशन व प्लीबारगेनिंग, श्रम कानूनो, लोक अदालत, स्थाई निरंतर लोक अदालत, लोकोपयोगी सेवा, पीड़ित प्रतिकर, मोटर व्हीकल एक्ट, सालसा की योजनाओं की जानकारी, विधिक साक्षरता शिविरों की जानकारी, पास्को एक्ट, बालकों से संबंधित कानून.किशोर न्याय अधिनियम, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, किशोर न्याय बोर्ड व बाल कल्याण समिति के उद्देश्य, कार्य व प्रक्रिया के बारे में बताया। जिला विधिक सहायता अधिकारी रॉबिन दयाल ने नालसा की योजनाएं व प्रावधान, पैरालीगल वालेंटियर के उद्देश्य, कार्य व प्रशिक्षण सामग्री के संबंध में जानकारी दी।

किशोर न्याय अधिनियम 2015 के संबंध में एक दिवसीय प्रशिक्षण सत्र शासकीय संप्रेक्षण गृह में आयोजित

चंचल एक्सप्रेस, गुना। जिले में नव नियुक्त किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य, बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष एवं अन्य 04 सदस्यों तथा अन्य आई.सी.पी.एस. कर्मचारियों का किशोर न्याय अधिनियम 2015 के संबंध में एक दिवसीय प्रशिक्षण सत्र शासकीय संप्रेक्षण गृह में आयोजित किया गया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुंभारभ अपर जिला जज एवं सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण गुना ए.के. मिश्र ने किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में श्री मिश्र ने किशोर न्याय अधिनियम 2015 पर प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन देते हुये जानकारी दी कि प्रशिक्षणार्थी अधिनियम का अध्ययन करें। अधिनियम के प्रावधानो के अंतर्गत बच्चों के सर्वोत्म हित में निर्णय लें। जहां भी कठिनाई हो विधिक सेवा प्राधिकरण से सहायता प्राप्त करें।

इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी दीपक शर्मा द्वारा किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति की भूमिका के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई तथा सभी बच्चों को निश्शुल्क सहायता प्राप्त करने के प्रावधानों की जानकारी भी दी गई। जिला कार्यक्रम अधिकारी डी.एस. जादौन द्वारा किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत बच्चों के सर्वोत्म हित में किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल संरक्षण समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से अवगत कराया गया ताकि बच्चों के सर्वोत्म हित में निर्णय लिया जाए। इस मौके पर यह भी जानकारी ली गई कि विधि विवादित बच्चों के प्रकरण किशोर न्याय बोर्ड, देखरेख एवं संरक्षण वाले 18 वर्ष से कम आयु के बालक एवं बालिकाओं के प्रकरण बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत होते हैं, उन बच्चों के सर्वोत्म हित में बोर्ड एवं समिति को निर्णय लेना है। सहायक संचालक मबावि आर. बी. गोयल द्वारा किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई।

सभी नव नियुक्त किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति के सदस्यों को शुभकामनाएं प्रदान की गई। म.प्र. शासन द्वारा गुना जिले मं किशोर न्याय बोर्ड के अशासकीय सदस्य श्रीमती शर्मिष्ठा कोकाटे एवं रमेश जैन पारस की नियुक्ति की गई है। बाल कल्याण समिति में अध्यक्ष पद पर श्रीमती अनुसुईया रघुवंशी एवं श्री सतीश आरोरा, श्रीमती संगीता सिंह, श्रीमती मधु शर्मा एवं श्रीमती मेघा रावत की नियुक्ति सदस्य के रूप में की गई है। प्रशिक्षण उपरांत उक्त समितियों द्वारा अपना कार्य विधिवत प्रांरभ कर दिया गया है।

किशोर न्याय अधिनियम का एक दिवसीय प्रशिक्षण सत्र शासकीय संप्रेक्षण गृह में आयोजन

रिपोर्टर • मणिधारी टाइम्स, गुना

जिले में नव नियुक्त किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य, बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष एवं अन्य 4 सदस्यों तथा अन्य आईसीपीएस कर्मचारियों का किशोर न्याय अधिनियम 2015 के संबंध में एक दिवसीय प्रशिक्षण सत्र शासकीय संप्रेक्षण गृह में आयोजित किया गया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुंभारभ अपर जिला जज एके मिश्र ने किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में श्री मिश्र ने किशोर न्याय अधिनियम 2015 पर प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन देते हुये जानकारी दी कि प्रशिक्षणार्थी अधिनियम का अध्ययन करें। अधिनियम के प्रावधानो के अंतर्गत बच्चों के सर्वोत्म हित में निर्णय लें। जहां भी कठिनाई हो विधिक सेवा प्राधिकरण से सहायता प्राप्त करें। इस अवसर पर जिला विधिक सहायता अधिकारी दीपक शर्मा द्वारा किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अंतर्गत किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल कल्याण समिति की भूमिका के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई तथा सभी बच्चों को निश्शुल्क सहायता प्राप्त करने के प्रावधानों की जानकारी भी दी गई। जिला

प्रशिक्षण में उपस्थित सदस्यगण

कार्यक्रम अधिकारी डीएस जादौन द्वारा किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत बच्चों के सर्वोत्महित में किशोर न्याय बोर्ड एवं बाल संरक्षण समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से अवगत कराया गया ताकि बच्चों के सर्वोत्म हित में निर्णय लिया जाए। इस मौके पर यह भी जानकारी ली गई कि विधि विवादित बच्चों के प्रकरण किशोर न्याय बोर्ड, देखरेख एवं संरक्षण वाले 18 वर्ष से कम आयु के बालक एवं बालिकाओं के प्रकरण बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत होते हैं, उन बच्चों के सर्वोत्म हित में बोर्ड एवं समिति को निर्णय लेना है। सहायक संचालक मबावि आरबी गोयल द्वारा किशोर न्याय अधिनियम 2015 के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी गई।

सफलता की कहानियां

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शहडोल

(1) आदिवासी बाहुल्य ग्राम शाहपुर, तहसील जैतपुर, जिला शहडोल में विधिक सेवा प्राधिकरण शहडोल एवं उससे संबद्ध उसी समुदाय के पैरालीगल वालेंटियर श्री अखिलेश सिंह के प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह का नवाचार उस समुदाय में प्रारंभ करते हुए एक विधवा महिला शांति सिंह और एक विधुर पुरूष राकेश सिंह कंवर का पुनर्विवाह उनके घर वालों की सहमति से कराया जाना सुनिश्चित किया गया। वर्तमान में साथ में जीवन व्यतीत करने लगे हैं और सामुदायिक रीति–रिवाज से वैवाहिक कार्यक्रम शीघ्र सम्पन्न कराया जायेगा। इस प्रयास से सामुदाय के विधवा स्त्रियों के सामाजिक स्तर को सुधारने में मदद मिलेगी।

(2) जिला शहडोल अंतर्गत ग्राम–मेहरौड़ी की समस्या ज्ञात होने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पीएलव्ही श्री रमेश प्रकाश पाण्डेय को सर्वे कर समस्याओं को चिन्हित करने हेतु जिला प्राधिकरण शहडोल द्वारा निर्देशित किया गया। जिस पर उनके द्वारा दिनांक 07.07.2020 को प्रतिवेदन देते हुए मुख्यतः शहर तक सड़क की आवश्यकता एवं राशन दुकान दूर होने की सामूहिक समस्या आई । इन समस्याओं के संबंध में कलेक्टर से मीटिंग कर चर्चा की गई और उन्हें अवगत कराया गया जिसपर उनके द्वारा सक्षम प्राधिकारियों के माध्यम से समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया गया। सतत् समन्वय से ग्राम मेहरोड़ी से मुख्य मार्ग तक पहुंच के लिए सड़क निर्माण की कार्यवाही इस माह पंचायत द्वारा शुरू कर दी गई है।

DLSA ANUPPUR

On 15-02-2021, legal literacy camp was organized in village Amarkantak under NALSA (Legal services for mentally ill and disabled persons) Scheme. The attendees were made aware of the law related to Mental health act, protection & Defense available to mentally i'll person under various law. Along with this, people were made aware about general law, victim compensation scheme, public utility Lok Adalat, free and competent legal assistance.

A homeless mental ill woman was walking near the temple in dirty clothes, she was rescued to the hospital with the help of plvs and police. She is undergoing treatment, her condition is better than before.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा

ग्राम खैगांव तहसील पुनासा जिला खण्डवा की 26 वर्षीय महिला द्वारा अपने परिवार तथा बच्चे के साथ रहने हेतु जिला प्राधिकरण खण्डवा में दिनांक 15.02.2021 को आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन में व्यक्त किया कि उसके विवाह को लगभग 07 वर्ष हो चुके है। सास–ससुर दोनों शासकीय सेवा में है एवं पति प्रायवेट नौकरी में है। उसका एक बेटा है जो कि साढ़े पांच वर्ष का है। विवाह के बाद सब ठीक–ठाक चल रहा था लेकिन पिछले कुछ माह से पति शराब का सेवन करने लगे थे, इस बात से घर में आये दिन विवाद एवं छोटी–छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा होने लगा पत्नि द्वारा पति को शराब के सेवन से रोकने के लिए कई प्रयास किये गये किन्तु पति के व्यवहार में परिवर्तन नही आया तथा पति द्वारा पत्नि पर अनावश्यक शंका करने से विवाद और बढ़ गया एवं उक्त महिला मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर ससुराल छोड़कर मायके चली गई। किन्तु महिला अपना परिवार तोडना नहीं चाहती थी एवं पत्नि के रूप में पति के साथ ही रहना चाहती थी लेकिन पति झुकने को भी तैयार नही था।

जिला प्राधिकरण द्वारा दोनों पति पत्नि की कई बार काउंसलिंग की गई। काउंसलिग में पति द्वारा शराब छोड़ने एवं शंका नही करने का भरोसा दिया गया तथा पत्नि और बच्चे को पर्याप्त समय देने व हमेशा साथ में रखने का प्रण किया, जिस पर पत्नि भी मान गई और अपने पति के साथ ससुराल जाने को तैयार हो गई। इस प्रकार जिला प्राधिकरण के प्रयास से एक परिवार टूटने से बच गया।

Glimpses of Legal Awareness Programmes

DLSA BURHANPUR

DLSA GUNA

DLSA SEONI

DLSA BARWANI

DLSA RATLAM

DLSA SINGRAULI

विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत स्वामी विवेकानंद कॉलेज व शास.उमावि में लगा जागरूकता शिविर

छात्रों की फिजिकल एक्टिविटी में सुधार करना आवश्यक है: हिदायत उल्लाह

कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता शिविर आयोजित किया गया।

घरेलू हिंसा अधिनियम,लैंगिक दुर्व्यवहार व पाक्सो एक्ट पर आयोजित जागरूकता शिविर का आयोजन

शा. कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिटी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन हुआ

बिना लक्ष्य के व्यक्ति जीवन में कुछ नहीं कर सकता

स्वामी विवेकानंद कॉलेज, पाटनदेव स्कूल में लगा जागरूकता शिविर

विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत शिविर का किया गया आयोजन

Date: 04/02/2021, Page: 2, City: Bhopal

URL: epaper.rashtriyahindimail.in

'छात्रों की आदतों और व्यवहार में आया बड़ा बदलाव'

विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत जागरूकता शिविर आयोजित

ग्राम पंचायतों ... प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया

कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन पर प्रमाण पत्र वितरित

जीवन सर्वश्रेष्ठ नागरिक के रूप में बिताएं: सक्सेना

मॉडल स्कूल में हुआ विधिक साक्षरता शिविर

Resolution of Complaint Received Through Legal Aid Helpline- 15100

Legal Issues	Non Legal Issues
15	2

-----XXX-----

न्याय सब के लिए

ACCESS TO JUSTICE FOR ALL